[2018] 10 एस. सी. आर. 663

जरनैल सिंह और अन्य

वी.

लछमी नारायण गुप्ता और अन्य

(2011 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.30621)

26 सितंबर, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, कुरियन जोसेफ, आर. एफ. नरीमन,

संजय किशन कौल और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

भारतीय संविधान कला। 16 (4 - ए), 16 (4-बी), 335,341 और 342-पदोन्नति में आरक्षण-में निर्णय की व्याख्या

एम. नागराज मामला-की शुद्धता-पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित-आयोजितः एम. नागराज मामले में निर्णय को सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है-हालांकि, एम. नागराज मामले में यह निष्कर्ष कि राज्य को मात्रात्मक डेटा एकत्र करना है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को दर्शाते हुए, इंद्र साहनी (1) मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के विपरीत, इस हद तक अमान्य माना जाता है।

भारत का संविधान-आरक्षण-क्रीम का सिद्धांत

परत-अनुसूचियों जाति (एससीएस) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आवेदन-आयोजितः जब कोई न्यायालय एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करता है, तो यह किसी भी तरह से राष्ट्रपति की सूची यू/आर्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। 341 या 342-उक्त सूची में नामित जाति या समूह या उप-समूह ठीक पहले की तरह जारी है-यह केवल वे व्यक्ति हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। वह समूह या उप-समूह, जो मलाईदार परत से संबंधित होने के कारण अस्पृश्यता या पिछड़ेपन से बाहर आए हैं, जो हैं

आरक्षण के लाभ से वंचित।

भारतीय संविधान कला। 14 और 16 (1)-आरक्षण

क्रीमी परत का सिद्धांत-आयोजितः कला में मलाईदार परत सिद्धांत ध्वनि देता है। 14 और 16 (1), क्योंकि एक ही वर्ग के भीतर असमान लोगों के साथ उस वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है।

क़ानूनों की व्याख्या-सामंजस्यपूर्ण व्याख्या-आयोजितः कलाएँ। 14 और 16 जब कला के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से व्याख्या की जाती है। 341

और 342, यह स्पष्ट करता है कि संसद को पूरी स्वतंत्रता है

प्रासंगिक कारकों के आधार पर राष्ट्रपति की सूची से व्यक्तियों को शामिल या बाहर करना भारत का संविधान-कला। 14 , 16 , 341 और 342 .

[2018] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का संविधान-आरक्षण-का उद्देश्य-आयोजित: आरक्षण का पूरा उद्देश्य यह देखना है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग

आगे बढ़ें ताकि वे समान आधार पर भारत के अन्य नागरिकों के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ सकें-यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि एक वर्ग के भीतर केवल मलाईदार परत ही सार्वजनिक क्षेत्र में सभी प्रतिष्ठित नौकरियों को संभाल ले और खुद को कायम रखे, और बाकी वर्ग को हमेशा की तरह पिछड़ा छोड़ दे।

निर्दिष्ट मुद्दे का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 हालाँकि M.Nagaraj एक बाद का निर्णय है, लेकिन यह चिन्नाया मामले का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करता है। का बहुमत निर्णय

हेगड़े, जे. ने मलाईदार परत सिद्धांत का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया है। चिन्नायाह के फैसले में संक्षेप में कहा गया कि आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का तर्कसंगतकरण) अधिनियम, 2000, जिसे वह मानता है, अनुसूचित जातियों को चार श्रेणियों में विभाजित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (2) का उल्लंघन होगा। केवल संसद ही राष्ट्रपति की सूची में कोई बदलाव कर सकती है, न कि राज्य विधानमंडलों में। यह निर्णय का सही अनुपात है। यह मामला है, क्योंकि चिन्नैया किसी भी तरह से उन किसी भी पहलू से नहीं निपटते हैं जिन पर संवैधानिक

M.Nagaraj के मामले में संशोधनों को बरकरार रखा गया था, यह नहीं था M.Nagaraj मामले के लिए चिन्नैया को संदर्भित करना बिल्कुल भी आवश्यक है। द.

निर्णय का सही अनुपात अनुच्छेद 341 के निर्माण से आता है। यह सच है कि आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ

(आरक्षण को तर्कसंगत बनाना) अधिनियम, 2000 को भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला पाया गया। चिन्नाया मामला एक पूरी तरह से अलग समस्या से निपटता है, इसके अलावा एक राज्य के क़ानून से निपटना और संवैधानिक संशोधन से नहीं, जैसा कि M.Nagaraj मामले में निपटाया गया था। [पैरा 13] [694-एफ-जी; 695-ए-बी, डी]

" M.Nagaraj में "वर्ग" अनुसूचित जातियों के लिए है और अनुसूचित जनजाति, और सार्वजनिक रोजगार में प्रतिनिधित्व की उनकी अपर्याप्तता। इसलिए, यह स्पष्ट है कि M.Nagaraj ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने हैं। फैसले का यह हिस्सा सीधे है

इंद्र साहनी (1) मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के विपरीत।

जरनैल सिंह और अन्य बनाम। लछमी नारायण गुप्ता

जीवन रेड्डी, जे. ने अपने और तीन अन्य विद्वान न्यायाधीशों के लिए बोलते हुए स्पष्ट रूप से कहा था, "सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की परीक्षा या आवश्यकता अनुसूचित जातियों पर लागू नहीं की जा सकती है।

और अनुसूचित जनजातियाँ, जो निर्विवाद रूप से "नागरिकों के पिछड़े वर्ग" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती हैं। [पैरा 14] [695-ई-एच]

वे जातियाँ या समूह या उनके कुछ भाग, जिन्हें अछूत माना गया है। इसी तरह, अनुसूचित जनजातियों की राष्ट्रपति सूची केवल दूरदराज के पिछड़े क्षेत्रों में उन जनजातियों को संदर्भित करती है जो सामाजिक रूप से बेहद पिछड़े हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब M.Nagaraj मामले में राज्यों को पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है, जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, तो यह स्पष्ट रूप से इंद्र साहनी (1) मामले के विपरीत होगा और इस आधार पर इसे खराब घोषित करना होगा। हालाँकि, जब क्रीमी परत की बात आती है सिद्धांत रूप में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिद्धांत ध्वनि में है

अनुच्छेद 14 और 16 (1), क्योंकि एक ही वर्ग के भीतर असमान लोगों के साथ उस वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। आरक्षण का पूरा उद्देश्य यह देखना है कि पिछड़े वर्ग के नागरिक आगे बढ़ें ताकि वे भारत के अन्य नागरिकों के साथ समान आधार पर हाथ मिला सकें। यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि केवल उस वर्ग के भीतर की मलाईदार परत ही सार्वजनिक क्षेत्र में सभी प्रतिष्ठित नौकरियों को हासिल कर लेती है और खुद को स्थायी बना लेती है, जिससे बाकी वर्ग हमेशा की तरह पिछड़े रह जाते हैं। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि जब कोई न्यायालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर मलाईदार सिद्धांत लागू करता है, तो वह किसी भी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 या 342 के तहत राष्ट्रपति सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। उक्त सूची में नामित जाति या समूह या उप-समूह ठीक पहले की तरह जारी है। केवल वे लोग हैं

उस समूह या उप-समूह के भीतर, जो मलाईदार परत से संबंधित होने के कारण अस्पृश्यता या पिछड़ेपन से बाहर आए हैं, जिन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा गया है।

यहां तक कि ये व्यक्ति जो राष्ट्रपति की सूची में समूह या उप समूह के भीतर हैं, वे भी उन सूचियों में बने हुए हैं। यह केवल तब होता है जब अनुच्छेद 14 और 16 के तहत आरक्षण सिद्धांत के अनुप्रयोग की बात आती है कि [2018] 10 एस. सी. आर. के भीतर मलाईदार परत।

उस उप-समूह को ऐसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। [पैरा 15] [696-डी-एफ; 698-ए-डी]

1.4 यह जानना आवश्यक नहीं है कि संसद राष्ट्रपति की सूची से मलाईदार परत को हटा सकती है या नहीं। अनुच्छेद 341 और 342 के तहत निहित। यहाँ तक कि अनुमान पर भी

कि अनुच्छेद 341 और 342 संसद को क्रीमी परत को इसके भीतर निहित समूहों या उप-समूहों से बाहर करने का अधिकार देते हैं।

इन सूचियों में, यह स्पष्ट है कि संवैधानिक न्यायालय, क्रीमी लेयर को बाहर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को लागू करते हुए इस अभ्यास में इस तथ्य से विफल नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति

क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने पर संसद द्वारा राष्ट्रपति की सूची को बाहर रखा जा सकता है। जब अनुच्छेद 14 और 16 हैं अन्य अनुच्छेद 341 और 342 के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से व्याख्या की गई, यह स्पष्ट है कि संसद को प्रासंगिक कारकों के आधार पर राष्ट्रपति की सूची से व्यक्तियों को शामिल करने या बाहर करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। इसी तरह, संवैधानिक न्यायालय, आरक्षण के सिद्धांत को लागू करते समय, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के सिद्धांतों को लागू करते समय ऐसे समूहों या उप-समूहों से मलाईदार परत को बाहर करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होंगे।

भारत का संविधान। अशोक कुमार ठाकुर मामले में बालाकृष्णन, सी. जे. का बयान कि मलाईदार परत सिद्धांत केवल एक है

पहचान के सिद्धांत पर सहमति नहीं हो सकती है न कि समानता के सिद्धांत पर। [पैरा 16] [698-ई-एच; 699-ए]

1.5 जब M.Nagaraj ने क्रीमी परत परीक्षण लागू किया

संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मूल संरचना परीक्षण के अनुप्रयोग का अभ्यास करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) में संशोधन, यह किसी भी तरह से अनुच्छेद के तहत संसद की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता था। 341 या अनुच्छेद 342। इसलिए, स्पष्ट रूप से निर्णय के इस भाग पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है, और इसके परिणामस्वरूप, सात-न्यायाधीशों की पीठ को M.Nagaraj संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। M.Nagaraj एक है

इस न्यायालय के पाँच विद्वान न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय जो

वर्ष 2006 से इसका दबदबा रहा है। वास्तव में, यह तय करने के लिए कि क्या कोई संवैधानिक संशोधन बुनियादी संरचना का उल्लंघन करता है, M.Nagaraj मामले में निर्धारित परीक्षणों को नौ द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया गया है।

आई. आर. कोएल्हो मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ।

पूरी तरह से जरनैल सिंह और अन्य बनाम। लछमी नारायण गुप्ता

निर्णय, स्पष्ट रूप से गलत होने की जगह, सही ढंग से लागू होता है

कुछ शर्तों पर संवैधानिक संशोधनों को बनाए रखने के लिए मूल संरचना सिद्धांत जो मूल संरचना के हिस्से के रूप में समानता सिद्धांत पर आधारित हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि

राज्य द्वारा अपर्याप्तता पर M.Nagaraj मामले में निर्धारित मापदंडों पर मात्रात्मक डेटा एकत्र किया जाएगा।

प्रतिनिधित्व, जिसका न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। यह होगा आंकड़ा संबंधित संवर्ग से संबंधित हो। [पैरा 17] [699-बी-सी; 700-सी-डी]

1.6 संविधान (एक सौ सत्रहवां संशोधन) विधेयक के अनुच्छेद 16 (4-ए) के पहले भाग की मदद के बिना भी,

2012 , जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बात आती है तो पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है

इंद्र साहनी (1) मामले में बहुमत के विपरीत होना। जहाँ तक विधेयक में निहित प्रतिस्थापित अनुच्छेद 16 (4-ए) के दूसरे भाग का संबंध है, यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में नहीं है।

कुछ ऐसा जो अधिनियमित अनुच्छेद 16 (4-ए) में होता है, जो अनुच्छेद 330 के विपरीत होना चाहिए। अनुच्छेद 46, जो एक प्रावधान है

समाज के सबसे पिछड़े या सबसे कमजोर वर्गों को, और इसलिए, पिछड़े माना जाता है। यह तर्क कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में जनजाति उच्च पदों पर पहुँचती है, उसके पास अब अस्पृश्यता या पिछड़ेपन का कोई दाग नहीं है, जैसा भी मामला हो, और इसलिए, जैसे-जैसे पद ऊपर जाते हैं, राज्य पिछड़ेपन की अनुपस्थिति का न्याय कर सकता है, यह एक तर्क है जो अनुच्छेद 16 (4-ए) की वैधता पर जाता है। यदि इस तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो तार्किक रूप से, अनुच्छेद 16 (4-ए) को [2018] 10 एस. सी. आर. की आवश्यकता के रूप में निरस्त करना होगा।

अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) का उद्देश्य इंद्र साहनी (1) मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ को समाप्त करना है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण, उस उद्देश्य को प्रभावी बनाया जाना चाहिए, और M.Nagaraj मामले में निर्णय द्वारा प्रभावी किया गया है। इस मामले में, कोई भी ऐसे तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से संवैधानिक संशोधनों के आधार या नींव पर फिर से विचार करेगा ताकि M.Nagaraj मामले के एक छोटे से हिस्से को बरकरार रखा जा सके, अर्थात्, पदोन्नति पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन का न्याय करने के लिए मात्रात्मक डेटा हो। "मलाईदार परत" की अवधारणा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू होती है।

जिन्हें अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, प्रवेश चरण से परे पदों के विपरीत, जिन पर सदस्यों का कब्जा हो सकता है

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। [पैरा 19] [703-ए-सी, ई-एच; 704-ए-सी]

1.7 महान्यायवादी ने अनुरोध किया कि भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुपात को यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण के रूप में लिया जाना चाहिए कि क्या उन्हें पदोन्नति के पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

अनुच्छेद 16 (4-ए) का उद्देश्य। उन्होंने शिकायत की कि M.Nagaraj मामले में यह कहा जाना चाहिए था, लेकिन इस पहलू पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इस न्यायालय के अनुसार, M.Nagaraj मामले ने पदोन्नति पदों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए समझदारी से परीक्षा छोड़ दी है राज्यों को इस साधारण कारण से कि जैसे-जैसे पद बढ़ता है, यह आवश्यक हो सकता है, भले ही जनसंख्या के लिए आनुपातिकता परीक्षण हो

पदोन्नति पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या को कम करने के लिए समग्र रूप से ध्यान में रखा जाता है, जैसे -

एक ऊपर जाता है। यह सरल कारण है कि हर बार पदोन्नति होने पर प्रशासन की दक्षता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बनाया गया। जैसा कि इंद्र साहनी (1) मामले में न्यायाधीश बी. पी. जीवन रेड्डी के फैसले में बताया गया है, शीर्ष पर कुछ पद हो सकते हैं, जहां आरक्षण पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

इस कारण से, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुच्छेद 16 (4-ए) को भाषा में जोड़ा गया है जो इसे राज्यों पर छोड़ देगा - विचाराधीन प्रचार पद के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व निर्धारित करें।

यह देखा जा सकता है कि जब जरनैल सिंह और अन्य बनाम। लछमी नारायण गुप्ता

जनसंख्या के अनुपात को संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है। इस प्रावधान और अनुच्छेद 16 (4-ए) के बीच भाषा में अंतर महत्वपूर्ण है। [पैरा 20] [704-डी-जी] 1.8 M.Nagaraj मामले में निर्णय को सात-न्यायाधीशों की पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, निष्कर्ष में

M.Nagaraj मामला कि राज्य को अनुसूचित जातियों के पिछड़ेपन को दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना है और

अनुसूचित जनजातियों को, इंद्र साहनी (1) मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के विपरीत होने के कारण इस हद तक अमान्य माना जाता है। [पैरा 21] [706-बी]

एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) 8 एससीसी 212: [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 336; इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ (इंद्र साहनी 1) (1992) पूरक। 3 एससीसी 217: [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 454; आर. के. सभरवाल बनाम की स्थिति

पंजाब (1995) 2 एससीसी 745 [1995] 2 एससीआर 35;

ई. वी. चिन्नायाह बनाम ए. पी. राज्य (2005) 1 एस. सी. सी. 394: [2004] 5 पूरक। एस. सी. आर. 972; केशव मिल्स कं. लिमिटेड बनाम आय-कर आयुक्त, बॉम्बे उत्तर [1965] 2

एस. सी. आर. 908; इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (इंद्र साहनी 2) (2000) 1 एस. सी. सी. 168: [1999] 5 पूरक। एससीआर 229; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम। राज नारायण और अन्र।

(1975) पूरक। एससीसी 1: [1976] 2 एस. सी. आर. 347; अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ (2008) 6 एससीसी 1:

[2008] 4 एस. सी. आर. 1; केरल राज्य और अन्र। वी. एन. एम. थॉमस और ओआरएस। (1976) 2 एस. सी. सी 310: [1976] 1 एससीआर 906; एल. आर. द्वारा आई. आर. कोएल्हो (मृत)। वी. तमिलनाडु राज्य और अन्य। (2007) 2 एससीसी 1: [2007] 1 एस. सी. आर. 706; अनिल चंद्र बनाम। राधा कृष्ण गौर (2009) 9 एससीसी 454: [2009] 14 एस. सी. आर. 335 (दो-न्यायाधीशों की पीठ); सूरज भान मीणा और अन्र। वी. राजस्थान राज्य और अन्य। (2011) 1 एससीसी 467: [2010] 14 एस. सी. आर. 532 (दो-न्यायाधीशों की पीठ); यू. पी. पावर कॉर्पोरेशन बनाम राजेश कुमार और अन्य। (2012) 7 एससीसी 1:

[2012] 4 एस. सी. आर. 118 (दो-न्यायाधीश पीठ); एस. पन्नीर सेल्वम और अन्य। वी. तमिलनाडु राज्य और अन्य। (2015) 10 एस. सी. सी. 292 (दो-न्यायाधीश पीठ); अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। वी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य। (2015) 12 एससीसी 308 [2015] 1 एससीआर 55 (दो-न्यायाधीश)

बेंच); सुरेश चंद गौतम बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य।

(2016) 11 एससीसी 113: [2016] 1 एस. सी. आर. 727 (दो-न्यायाधीश

बेंच); बी. के. पवित्रा और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (2017) 4 एससीसी 620: [2017] 1 एस. सी. आर. 631 (दो-न्यायाधीश

पीठ); सामान्य श्रेणी कल्याण संघ बनाम।

भारत संघ (2012) 7 एस. सी. सी. 40 (तीन-न्यायाधीश)

बेंच); रोहतास भांकर बनाम। भारत संघ (2014) 8 एस. सी. सी. 872 [2014] 8 एस. सी. आर. 871 (पाँच-न्यायाधीश पीठ)

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 7 पूरक। एससीआर 336

संदर्भित किया गया है

पै
रा 1

[1992] 2 पूरक। एससीआर 454

पै
रा 3

संदर्भित किया गया है

[1995] 2 एससीआर 35

पै
रा 3

संदर्भित किया गया है

[2004] 5 पूरक। एससीआर 972

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[1965] 2 एससीआर 908

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[1999] 5 पूरक। एससीआर 229

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[1976] 2 एससीआर 347

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2008] 4 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[1976] 1 एससीआर 906

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2007] 1 एससीआर 706

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2009] 14 एससीआर 335

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2010] 14 एससीआर 532

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2012] 4 एससीआर 118

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

(2015) 10 एससीसी 292

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2015] 1 एससीआर 55

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2016] 1 एससीआर 727

पै

रा 17

संदर्भित किया गया है

[2017] 1 एससीआर 631

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

(2012) 7 एससीसी 40

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2014] 8 एससीआर 871

संदर्भित किया गया है

पैरा 17 जरनैल सिंह और अन्य बनाम लछ्मी नारायण गुप्ता

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: विशेष अवकाश याचिका

(सिविल) 2011 की सं. 30621

2009 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13218 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 15.07.2011 के निर्णय और आदेश से

के साथ

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 2017 का सीसी सं. 6821

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 31735 , 35000 2011 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 4831 , 2839 , 5860 , 5859 , 30841 2012 से,

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 8327 , 6915 , 16710-16711 , 33163 , 23344 , 23339-23340 2014 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या। 21343 , 25191,31191,33688 , 19765-19767 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या। 10638 , 17491 , 18844 , 19422-19423 , 24681 , 28446-28447 , 28306 , 30942 , 31288 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या। 16469 , 18925 , और 2018 का 22985। सिविल अपील सं। 5247 , 11817 , 11816 , 11820 , 11822 11825 , 11837-11840 , 11842-11845 , 11829-11832 , 11847-11850 , 11828 2016 की सिविल अपील सं। 4562-4564 , 4880 , 4878-4879 , 4876-4877,4881 , 4882 , 4833 , 701-704 2017 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4831 में 2016 की 314,2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 19765 में 2017 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 11 @विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या। 19765-19767 2015 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 2017 की 13 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 19767 @विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या। 19765-19767 वर्ष 2015 और स्थानांतरण याचिका (सिविल) सं। 608-609 2017 से,

राधाकृष्णन, पी. एस. पटवालिया, ए. मारियारपुथम, सुश्री इंदिरा जयसिंह, संजय आर. हेगड़े, रूपिंदर सिंह सूरी, निधेश गुप्ता, सलमान खुर्शीद, आर. एल. वंजारानी, डॉ. राजीव धवन, सौम्या चक्रवर्ती, अमरेंद्र शरण, दिनेश द्विवेदी, सुश्री किरण सूरी, सुश्री वी. लक्ष्मी नारायण, राकेश द्विवेदी, अतुल यशवंत चिताले, शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता। चंद्र भूषण प्रसाद, शांतनु कृष्णा, अजीत वाघ, अपूर्व शुक्ला, अशोक के. महाजन, मोहन पांडे, के. एन. राय, सुश्री रुचि कोहली,

पी. के. मलिक, जी. एस. मक्कर, श्रीमती अनिल कटियार, मुकेश कुमार मारोरिया, [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री श्रद्धा देशमुख, अंकुर तलवार, आर. बालासुब्रमण्यम, रोहित भट्ट, सुश्री कनिका सरन, प्रभास बजाज, अरविंद कुमार शर्मा, सुबोदीप रॉय, ऋतुराज बिस्वास, सुश्री नताशा डालमिया, सुश्री हरिशिका

वर्मा, सयोज मोहन दास, दिनेश रतन भारद्वाज, डॉ. आशुतोष गर्ग, सुश्री आभा आर. शर्मा, डी. एस. परमार, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, अंकित मिश्रा, सुश्री हंसिका वर्मा, सुश्री नताशा, सुश्री अरुणा माथुर, अवनीश

अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, यूसुफ खान, सुश्री गीतांजलि, एम/एस। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, सोम राज चौधरी, प्रशांत कुमार, कृष्ण सिंह चौहान, अजीत कुमार एक्का, रवि प्रकाश, मुरारी लाल, के. सी. लांबा, दीपक जैन, श्रीमती जसप्रीत ए., सुश्री प्रभलीन कौर,

सुश्री ए. सुमति, अर्जुन गर्ग, देवांश श्रीवास्तव, सुश्री अजिता शर्मा, सुमित पचखंडे, नागेश गजघाटे, सुश्री शशि किरण, सतीश चंद्र, सना मुजावर, मनोज जैन, अर्जुन सैन, प्रकाश शर्मा, मोहम्मद। नावेद, पंकज शर्मा, सुश्री प्रेरणा मेहता, बी. कृष्ण प्रसाद, मनोज गोरकेला, प्रांजा किशोर, एस. नितिन, मेसर्स। गोरकेला विधि कार्यालय, वरुण खन्ना, आदित्य गिरि, आलोक सिंह, साहिल, सुश्री वृति गुजराल, सुश्री पल्लवी सिंघी, प्रकाश शर्मा (मेसर्स के लिए)। गोरकेला विधि कार्यालय), मोहम्मद इब्राहिम, सुश्री लुबना नाज, श्रीमती कुनिका, अनिरुद्ध पी. मयी, हितेश कुमार शर्मा, एसके. राजोरा, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, श्रीकांत एन. तेरदल, आकर्ष के., प्रतीक आर. बॉम्बार्डे, प्रदीप एस. वथोर, अभिषेक कुमार, जितेंद्र अशोक, मेसर्स। एस. एम. जाधव एंड कंपनी, एस. बी. पवार, श्रीराम पिंगले, सागर पवन, प्रतीक गौरव, सुश्री स्नेहा अय्यर, सुश्री दीपा कुलकर्णी, सुश्री सुवर्णा गानू, निशांत रमाकांत कटनेश्वरकर, गुरज्योत सेठी, सुश्री शिवांगी खन्ना, सुश्री तन्वी काकर, अभिजात पी. मेध, सुनील कुमार, गया प्रसाद, रणधीर सिंह, सत्य प्रकाश गौतम, सुश्री ओलिविया बंग, डी. कुमानन, पुलकित तारे, सत्य मित्रा, अरविंद एस. अवध, पी. के. जयकृष्णन, आर. एस. एम. कल्कि, रमेश कुमार, राम किशन, सत नर

मकरंद प्रताप सिंह, मुकेश वर्मा, राज सिंह राणा, राकेश वी. राठौड़, दिनेश पी. राजभर, सुश्री अंजू के. वर्की, प्रशांत आर. दहत, टी. आर. बी. शिवकुमार, श्रेयस जी., गोपाल शंकरनारायणन, शोभित तिवारी, लाल प्रताप सिंह, उमेश प्रताप सिंह, श्रेय पटनायक, सुश्री ऐश्वर्या केन, सुश्री एन. अन्नपूरानी, करण खन्ना, अर्जुन अग्रवाल, भास्कर आदित्य, अनिकेत भट्टाचार्य, प्रदीप अग्रवाल, पबन शर्मा, अनिरुद्ध शर्मा, राम निवास, आर. एस. चौहान, सुश्री निरंजना सिंह, ए. सुब्बा राव, K.L.D.S. विनोबर, चंद किरण, अनुज सक्सेना।

सुश्री शकुन शर्मा, सुश्री हर्षल गुप्ता, एन. राजा सेंथूर पांडियन, विवेक सिंह, सुशील करंजकर, के. एन. राय, कुलदिप सिंह, पी. सोमा जरनैल सिंह और अन्य बनाम।

लछमी नारायण गुप्ता

सुंदरम, चंदन कुमार, ऋतुराज चौधरी, सुश्री सुजय बर्धन, कृष्णम मिश्रा, निशांत सिंह, यशार्थ कांत, कुमार परिमल, प्रकाश पांडे, संजीव कुमार चौधरी, एस. जे. अमित, सुश्री ऐश्वर्या कुमार, कृष्ण कुमार, श्रीमती विपिन गुप्ता, शैलेश मडियाल, सुधांशु प्रकाश, दिनेश के. गर्ग, अभिषेक गर्ग, धनंजय गर्ग, दीपक मिश्रा, श्रीनिवास बाबू, एन. प्रेमराज, अनिल कुमार मिश्रा, अनुज सिंह, सुश्री अलका सिन्हा, अनुव्रत शर्मा, रवींद्र कुमार, फुजैल अहमद अयूबी, सुश्री अदिति गुप्ता, इबादत मुश्ताक, सुश्री कौसर हुसैन, प्रांजल किशोर, अब्दुल सुमन, राहुल एम., आर. आर. बाग, संजीव मोलहोत्रा, एम. के. दुआ, गोपाल सिंह, सुश्री अमिता सिंह कल्कल, पुनीत जैन, अभिनव गुप्ता, हर्ष जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, सुश्री विनीता मेघराजानी, विश्व पाल सिंह, स्मारहर सिंह, सुश्री प्रिया शर्मा, प्रथवी राज चौहान, सुश्री सुचित्रा अतुल चितले, रवींद्र केशवराव अदसुरे, डॉ. एम. पी. राजू, एम. विजय भास्कर, एस. पी. सिंह, श्रीमती सुचित्रा ए. चितले, निखिलेश रामचंद्रन, संजय खड़दे, सम्राट शिंदे, अभिकल्प प्रताप सिंह, सुनील कुमार वर्मा, अविजीत भट्टाचार्जी, श्रीमती उपमा श्रीवास्तव, अजय कुमार। घोष, नितिन देवराव मेशराम, रणबीर सिंह यादव, सागर कुशवाह, चंदन राममूर्ति, मनोज आर. सिन्हा, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, संत रंजन दास, अनिंदो मुखर्जी, सुश्री सरला चंद्र, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

उत्तरदाता-व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. वर्तमान मामलों का समूह दो संदर्भ आदेशों से उत्पन्न होता है-पहला दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा, जिसका उल्लेख दूसरे संदर्भ आदेश, दिनांक आई. डी. 1 में किया गया है, जो कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया है, जिसने एम. नागराज बनाम मामले में निर्णय की शुद्धता का उल्लेख किया है। भारत संघ, (2006) 8 एस. सी. सी. 212, ("नागराज"), एक संविधान पीठ को।

2. इन मामलों में विवाद भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 16. सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।

▬

XXX XXX XXX (4 - (क) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के तहत सेवाओं में पदों के किसी भी वर्ग या वर्गों के लिए परिणामी वरिष्ठता, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

XXX XXX XXX " 335. सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। सदस्यों के दावे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दक्षता बनाए रखने के साथ-साथ उन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

प्रशासन, संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करने में:

बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में योग्यता अंकों में छूट के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

XXX XXX XXX " 341. अनुसूचित जातियाँ। (1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जरनैल सिंह और अन्य के भीतर जातियों, नस्लों या जनजातियों या भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है।

जातियाँ, जातियाँ या जनजातियाँ जो इस उद्देश्य के लिए संविधान को, यथास्थिति, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति माना जाएगा।

(2) संसद विधि द्वारा खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी जाति, वंश या जनजाति या किसी जाति, जाति या जनजाति के भीतर या समूह के भाग को शामिल या बहिष्कृत कर सकती है, लेकिन उपरोक्त के अलावा उक्त खंड के अधीन जारी अधिसूचना में किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

XXX XXX XXX

" 342. अनुसूचित जनजातियाँ। - (1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा,

जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर या समूहों के कुछ हिस्सों को निर्दिष्ट करें जो इसके उद्देश्यों के लिए होंगे।

संविधान को उस संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाए

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो। (2) संसद कानून द्वारा निम्नलिखित सूची में शामिल या बहिष्कृत कर सकती है -

खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियाँ, कोई भी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भीतर या समूह का हिस्सा हैं, लेकिन उपरोक्त के अलावा, उक्त खंड के तहत जारी अधिसूचना में किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना "।

3. हमने कुछ दिनों से दोनों पक्षों में व्यापक बहस सुनी है, जो कई बिंदुओं को उठाती है। लेकिन अंत में, हम

तर्क दो बिंदुओं तक सीमित हैं जिन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। भारत के विद्वान महान्यायवादी, श्री के. के. वेणुगोपाल ने नागराज (ऊपर) के पुनर्विचार के लिए आरोप का नेतृत्व किया। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, इन दो बिंदुओं पर नागराज (उपरोक्त) पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, जब नागराज (ऊपर) कहते हैं कि राज्य को पिछड़ेपन को दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना है, तो ऐसा अवलोकन इंद्र साहनी बनाम नौ न्यायाधीशों की पीठ के विपरीत होगा। भारत संघ, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217, ("इंद्र साहनी (1)"), जैसा कि उसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों में सबसे पिछड़े हैं और इसलिए यह माना जाता है कि एक बार जब वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341

और 342 के तहत राष्ट्रपति की सूची में शामिल हो जाते हैं, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन को दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है।

सामान्य तौर पर, एक बार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रपति की सूची में निर्धारित किए जाने के बाद, उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, और उक्त सूची को अनुच्छेद 341 और 342 के तहत संसद के अलावा कोई भी नहीं बदल सकता है। विद्वान। महान्यायवादी ने यह भी तर्क दिया कि नागराज (ऊपर) सेवा में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए किसी भी परीक्षण का संकेत नहीं देता है। उनके अनुसार, यह महत्वपूर्ण है कि हम यह निर्धारित करें कि यह परीक्षा पदोन्नति के सभी चरणों में भारत में जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुपात की परीक्षा हो, और इस उद्देश्य के लिए, आर. के. सभरवाल बनाम. पंजाब राज्य (1995) 2 एस. सी. सी. 745 का उपयोग किया जा सकता है। विद्वान महान्यायवादी के अलावा तर्क देने वाले अन्य वकीलों ने कुछ बारीकियों के साथ समान तर्कों को दोहराया है। 2016 की सी. ए. संख्या 11816 में याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इंदिरा जयसिंह ने कहा कि नागराज (उपरोक्त) पर इस आधार पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) अनुच्छेद 16 (4) से नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) से आते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे संविधान के अनुच्छेद 14,15,16,16 (4-ए), 16 (4-बी) और 335 के पठन पर आधारित हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एक और उप-वर्गीकरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर अनुमति नहीं है, जैसा कि इंदिरा साहनी (1) (ऊपर) और ई. वी. चिन्नैया बनाम में माना गया है। ए. पी. राज्य (2005) 1 एस. सी. सी. 394 ("चिन्नैया")। उन्होंने तर्क दिया कि नागराज (ऊपर) में निर्णय का संशोधन का प्रभाव होगा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि अकेले संसद राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन कर सकती है। उन्होंने अपने तर्क को यह कहते हुए समाप्त किया कि इसे वैध बनाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को पढ़ने की कवायद, नागराज (सुप्रा) में आयोजित की गई थी।

संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य। त्रिपुरा राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया ने कुछ दलीलों को दोहराया और कहा कि नागराज (सुप्रा) और चिन्नैया (सुप्रा) एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, यही कारण है कि नागराज (सुप्रा) इनक्यूरियम के अनुसार है क्योंकि यह चिन्नैया (सुप्रा) में फैसले का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करता है।

जरनैल सिंह और अन्य बनाम। लक्ष्मी नारायण गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

4. दूसरी ओर, श्री शांति भूषण ने नागराज (सुप्रा) का बचाव करते हुए कहा है कि जब नागराज (सुप्रा) "वर्ग" के पिछड़ेपन की बात करते हैं, तो जिसका उल्लेख किया जाता है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नहीं है, बल्कि पदों का वर्ग है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि बताए गए पदों के वर्ग के संबंध में पिछड़ेपन के लिए मात्रात्मक होने की आवश्यकता होगी

डेटा, और यह उस संदर्भ में है कि उपरोक्त अवलोकन किया जाता है। उन्होंने केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम पर भरोसा करते हुए भी तर्क दिया। कमिश्नर आय-कर, बॉम्बे नॉर्थ, (1965) 2 एस. सी. आर. 908, (केशव)

मिल्स) ने कहा कि समय की कसौटी पर खरा उतरने वाले संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया जाना चाहिए और यदि केशव मिल्स (उपरोक्त) के मापदंडों को लागू करना है, तो यह स्पष्ट है कि नागराज (उपर्युक्त) पर पुनर्विचार नहीं किया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव धवन ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि नागराज (उपरोक्त) को एक ऐसे निर्णय के रूप में समझा जाना चाहिए जिसने अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4 बी) को इस आधार पर जोड़ते हुए संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा है कि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं।

संविधान। उनके अनुसार, चूंकि समानता मूल संरचना का हिस्सा है, और नागराज (उपरोक्त) ने समानता के पहलुओं के रूप में 50 प्रतिशत कट-ऑफ मानदंड, मलाईदार परत, और आरक्षण का कोई अनिश्चितकालीन विस्तार लागू नहीं किया है।

उक्त संवैधानिक संशोधनों को बनाए रखने के लिए, नागराज (ऊपर) पर पुनर्विचार नहीं किया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, "मलाईदार परत" समानता के सिद्धांत को लागू करने का मामला है, क्योंकि एक ही वर्ग के भीतर असमानताओं को दूर करने की कोशिश की जाती है क्योंकि उन्हें दूसरों के बराबर नहीं माना जा सकता है। क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने का पूरा आधार यह है कि जो वास्तव में आरक्षण के योग्य हैं, उन्हें अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और इसके विपरीत, जो अयोग्य हैं, उन्हें उक्त लाभ मिलेंगे। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, मलाईदार परत सिद्धांत कुछ व्यक्तियों को बाहर करने के लिए लागू होता है वर्ग से और समूह अधिकारों से बिल्कुल भी नहीं निपटता है। इस मामले में, अनुच्छेद 341 और 342 आकर्षित नहीं होते हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद 341 और 342 आरक्षण से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं। वे केवल उन लोगों की पहचान से संबंधित हैं जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जा सकता है। दूसरी ओर, मलाईदार परत

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) की कसौटी पर उस वर्ग के भीतर से किए गए आरक्षण से कुछ व्यक्तियों को बाहर करने के लिए अदालतों द्वारा सिद्धांत लागू किया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही यह स्वीकार किया जाए कि मलाईदार परत अनुच्छेद 341 और 342 के भीतर आ सकती है, फिर भी मूल संरचना के हिस्से के रूप में मौलिक अधिकारों को लागू करने की न्यायालय की शक्ति को हटाया नहीं जा सकता है। वास्तव में, नागराज (उपरोक्त) एक संवैधानिक संशोधन से संबंधित मामला था और इसलिए, अनुच्छेद 341 और 342 [2018] 10 एस. सी. आर. नहीं कर सकते।

एक संवैधानिक संशोधन के लिए बुनियादी संरचना परीक्षण को लागू करने के रास्ते में खड़े हों।

5. श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता,

2016 के सी. ए. सं. 5247 ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 16 (4-ए) में निहित महत्वपूर्ण भाषा यह है कि "जो" शब्द बताएगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को "पिछड़े" बने रहना होगा। यदि अनुच्छेद 16 (4-ए) में "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति" शब्द को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी" के रूप में पढ़ा जाता है, तो यह और भी स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के निरंतर सामाजिक पिछड़ेपन का मूल्यांकन करना आवश्यक है। उच्च स्तर के पदों पर पदोन्नति करते समय, यह स्पष्ट हो जाता है कि एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी ने अपने पिछड़ेपन को छोड़ दिया होगा जब वह किसी सेवा में काफी उच्च स्तर पर पहुंच जाता है।

उदाहरण के लिए, उप मुख्य अभियंता का पद, किस स्तर पर, राज्य के लिए यह कहने के लिए खुला होगा कि इस स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के किसी भी पिछड़ेपन की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर से ऊपर के पदों में आगे कुछ भी आरक्षित नहीं करना समीचीन होगा। श्री नाफडे, श्री गोपाल शंकरनारायणन और अन्य वकीलों ने इसका अनुसरण किया और श्री धवन और श्री द्विवेदी की दलीलों का व्यापक रूप से समर्थन किया।

6. चूंकि हमें सर्वसम्मत संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाता है, इसलिए केशव मिल्स (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले की चेतावनी को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इस अदालत ने कहा:

" [अपने पहले के फैसले की समीक्षा और संशोधन करते हुए, इस न्यायालय को खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह सार्वजनिक हित में है या किसी अन्य हित के लिए है।

अन्य वैध और बाध्यकारी कारणों से, यह आवश्यक है कि पहले के निर्णय को संशोधित किया जाए। जब यह न्यायालय प्रश्नों का निर्णय करता है

कानून, इसके निर्णय, अनुच्छेद 141 के तहत, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, और इसलिए, देश में कानून की व्याख्या में निश्चितता और निरंतरता के तत्व को पेश करने और बनाए रखने के लिए इस न्यायालय का निरंतर प्रयास और चिंता होनी चाहिए। इस न्यायालय द्वारा अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का बार-बार प्रयोग इस आधार पर किया जाता है कि यह विचार बाद में उसके सामने रखा गया था।

न्यायालय को अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है, संयोग से कानून को अनिश्चित बना सकता है और भ्रम पैदा कर सकता है जिससे लगातार बचा जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि बाद

के अवसर पर, न्यायालय संतुष्ट है कि उसका पहले का निर्णय स्पष्ट रूप से जरनैल सिंह और अन्य बनाम था।

लछमी नारायण गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

त्रुटिपूर्ण, इसे त्रुटि को सुधारने में संकोच करना चाहिए; लेकिन इससे पहले कि

पिछले निर्णय को स्पष्ट रूप से गलत घोषित किया जाता है, न्यायालय

इसके बीच उचित मात्रा में सर्वसम्मति से संतुष्ट होना चाहिए सदस्यों का कहना है कि उक्त दृष्टिकोण का संशोधन पूरी तरह से उचित है। यह नहीं है।

संभव या वांछनीय, और किसी भी मामले में यह अक्षम होगा

किसी भी सिद्धांत को निर्धारित करें जो के दृष्टिकोण को नियंत्रित करना चाहिए

इसकी समीक्षा और संशोधन के प्रश्न से निपटने में न्यायालय पहले के निर्णय। यह हमेशा कई प्रासंगिक बातों पर निर्भर करता है।

विचार: इस पर दुर्बलता या त्रुटि की प्रकृति क्या है पूर्ववर्ती दृष्टिकोण की समीक्षा और पुनरीक्षण के लिए कौन-सी याचिका आधारित है?

इससे पहले के अवसर पर, क्या प्रश्न के कुछ पेटेंट पहलू थे

किसी का ध्यान नहीं गया, या अदालत का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था

कोई प्रासंगिक और भौतिक वैधानिक प्रावधान, या कोई पूर्ववर्ती प्रावधान था।

इस तरह की याचिका की सुनवाई करने वाला न्यायालय काफी सर्वसम्मत है कि ऐसा एक पहले के दृश्य में त्रुटि? त्रुटि का क्या प्रभाव पड़ेगा?

कानून के सामान्य प्रशासन पर या सार्वजनिक भलाई पर? है। पहले के निर्णय का बाद के अवसरों पर या तो पालन किया गया था

यह न्यायालय या उच्च न्यायालय? और, इसका उलट होगा

ये और अन्य प्रासंगिक विचार सावधानीपूर्वक किए जाने चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि जब भी इस न्यायालय को इसका प्रयोग करने के लिए कहा जाता है

अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन करने का अधिकार क्षेत्र। ये

विचार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब पहले

निर्णय पाँच सदस्यीय पीठ का सर्वसम्मत निर्णय होता है। इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश "।

(पीपी

में। 921-922)

7. हम इंद्र साहनी की नौ न्यायाधीशों की पीठ से शुरुआत कर सकते हैं।

(1) (ऊपर)। इस मामले में, मुख्य निर्णय बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. का है, जो पांडियन और सावंत, जे. जे. के साथ अपनी और तीन अन्य विद्वान न्यायाधीशों की ओर से बोल रहे हैं। , अपने अलग-अलग निर्णयों द्वारा परिणाम में व्यापक रूप से सहमत हैं। थोमन, कुलदिप सिंह और सहाय, जे. जे.। , असहमत हुए। इस ऐतिहासिक फैसले में विवाद की जड़ मंडल आयोग था

1980 की रिपोर्ट, जिसे दो मौकों पर संसद के समक्ष रखा गया था-एक बार 1982 में और फिर 1983 में। हालाँकि, इस रिपोर्ट के आधार पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जब एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, भारत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियों को [2018] 10 एस. सी. आर. के लिए आरक्षित किया जाएगा।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। इसके बाद 27 प्रतिशत रिक्तियों के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के गरीब वर्गों के उम्मीदवारों को वरीयता दी जानी थी और 10 प्रतिशत रिक्तियां अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की जानी थीं, जो आरक्षण की किसी भी मौजूदा योजना में शामिल नहीं थे। बहुमत के निर्णयों ने पिछड़े वर्गों के पक्ष में 27 प्रतिशत के आरक्षण और पिछड़े वर्गों के भीतर अधिक पिछड़े वर्ग के उप-विभाजन को बरकरार रखा, जिन्हें वरीयता दी जानी थी।

लेकिन अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में 10 प्रतिशत के आरक्षण को रद्द कर दिया। इस निर्णय पर पहुँचते हुए, न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी के निर्णय ने अनुच्छेद 16 (4) को अनुच्छेद 15 (4) के साथ संदर्भित और विपरीत किया, और कहा कि जब अनुच्छेद 16 (4) नागरिकों के पिछड़े वर्ग को संदर्भित करता है, तो यह मुख्य रूप से सामाजिक पिछड़ेपन को संदर्भित करता है (पैराग्राफ 774 देखें)। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जो न्यायालय के समक्ष विषय नहीं थे, को निम्नानुसार अलग रखा गया था:

" 781. शुरुआत में, हम कह सकते हैं कि इस चर्चा के उद्देश्य के लिए, हम अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को अलग रखते हैं (क्योंकि वे निश्चित रूप से पिछड़े वर्गों में शामिल हैं), सिवाय इस टिप्पणी के कि अनुच्छेद 16 (4) द्वारा परिकल्पित पिछड़े वर्गों में कुछ जातियां शामिल हैं-क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अनुसूचित जातियों में काफी कुछ जातियां शामिल हैं।

क्रीमी लेयर अवधारणा से निपटने में जहाँ तक यह पिछड़े वर्गों पर लागू होता है, पैराग्राफ 792 के अंतिम वाक्य में यह भी कहा गया है:

" 792. ..... (यह चर्चा अन्य पिछड़े वर्गों तक ही सीमित है। केवल वर्ग और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के मामले में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है)।

पैराग्राफ 796 797 में निहित चर्चा के सारांश में कहा गया है, "सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की परीक्षा या आवश्यकता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं की जा सकती है, जो निश्चित रूप से" पिछड़े वर्ग "की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। नागरिक "। जे. जीवन रेड्डी ने आगे कहा कि विशिष्टताओं और अति-विशिष्टताओं के कुछ पदों में आरक्षण के प्रावधान उचित नहीं होंगे (पैराग्राफ 838 देखें)। अंततः, निर्णय में निर्णय लिया गया कि आरक्षण केवल प्रारंभिक प्रविष्टि के चरण में लागू होगा और पदोन्नति के चरण में लागू नहीं होगा।

नील सिंह और अन्य बनाम। लक्ष्मी नारायण गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

8. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साहनी (1) (ऊपर) में नौ विद्वान न्यायाधीशों में से आठ ने क्रीमी लेयर सिद्धांत को एक पहलू और व्यापक समानता सिद्धांत के रूप में लागू किया। वास्तव में, इंद्र साहनी बनाम। संघ और ओआरएस। , (2000) 1 एस. सी. सी. 168 ("इंद्र साहनी (2)"), इस न्यायालय ने इंद्र साहनी (1) (ऊपर) में दिए गए निर्णयों को संक्षेप में प्रस्तुत किया।

क्रीमी परत का सी. टी. इस प्रकार हैः

" 13. इंद्र साहनी में [1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217: 1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1: (1992) 22 ए. टी. सी. 385] पिछड़े वर्गों से "मलाईदार परत" के बहिष्कार के सवाल पर, वहाँ था

इसके नौ विद्वान न्यायाधीशों में से आठ के बीच समझौता अदालत। इस संबंध में पाँच अलग-अलग निर्णय थे जो

"मलाईदार परत" को पहचानने और बाहर करने की आवश्यकता थी।

14. जीवन रेड्डी, जे. का निर्णय उनके लिए और तीन अन्य विद्वान न्यायाधीशों, कनिया, सी. जे. और एम. एन. वेंकटचलैया, ए. एम. अहमदी, जे. जे. की ओर से दिया गया था। (जैसे वे तब थे)। उक्त निर्णय में जाति की प्रासंगिकता पर जोर दिया गया और यह भी कहा गया कि

कि पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य "उन्नत सामाजिक स्तर या स्थिति" तक पहुँचने पर, वह अब पिछड़े वर्ग का नहीं रहेगा।

वर्ग और इसे बाहर निकालना होगा। इसी तरह के विचार थे

सावंत, थोमन, कुलदिप सिंह और सहाय, जे. जे. द्वारा व्यक्त किया गया। में

उनके अलग निर्णय।

15. संक्षेप में इसका उल्लेख और सारांश देना आवश्यक होगा।

इसके लिए इन पाँच अलग-अलग निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत

16. "साधन-परीक्षण" या "क्रीमी लेयर" की अवधारणा पर विचार करते समय, जो आय सीमा लागू करने का प्रतीक है, उन व्यक्तियों (पिछड़े वर्ग से) को बाहर करने के उद्देश्य से जिनकी आय है। उक्त सीमा से ऊपर है, पैरा 791 में, न्यायालय ने नोट किया है कि बिहार, तमिलनाडु, केरल राज्यों के वकील और अन्य वकील

उत्तरदाताओं ने इस तरह के किसी भी भेद का कड़ा विरोध किया और

प्रस्तुत किया कि एक बार जब किसी वर्ग की पहचान आर्थिक मानदंड सहित प्रासंगिक मानदंडों को लागू करने के बाद पिछड़े वर्ग के रूप में की जाती है, तो आर्थिक मानदंड को एक बार फिर लागू करने और पिछड़े वर्ग को दो उप-श्रेणियों में विभाजित करने की अनुमति नहीं है। अदालत ने

उक्त तर्क को यह मानते हुए नकार दिया कि ऐसे (मलाईदार परत) सामाजिक रूप से उन्नत सदस्यों के बहिष्कार से "वर्ग" बन जाएगा।

वास्तव में एक पिछड़ा वर्ग और अधिक उचित रूप से सेवा करेगा

खंड (4) का उद्देश्य और उद्देश्य।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. जे. जीवन रेड्डी ने प्रश्न 3 (डी) (एससीसी के पैरा 790,792,793) और प्रश्न 10 (पैरा 843,844) के तहत "मलाईदार परत" पर चर्चा की। विद्वान न्यायाधीश ने यह घोषणा की: वहाँ हैं

पिछड़े वर्गों के बीच ऐसे वर्ग जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से अत्यधिक उन्नत हैं और वे अग्रगामी वर्ग का गठन करते हैं।

उस समुदाय का हिस्सा। ये उन्नत वर्ग सच्चे पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं हैं। वे (पैरा 790) "किसी भी अन्य अग्रगामी वर्ग के सदस्य की तरह अग्रगामी" हैं।

" यदि कुछ सदस्य सामाजिक रूप से बहुत अधिक उन्नत हैं (जो

संदर्भ में, आवश्यक रूप से आर्थिक रूप से मतलब है और, भी हो सकता है

मतलब शैक्षिक रूप से) उनके बीच जोड़ने वाला धागा और

शेष वर्ग स्नैप करता है। वे कक्षा में अनुपयुक्त होंगे। "

(एस. सी. सी पी. 724, पैरा 792)।

(जोर दिया गया)

विद्वान न्यायाधीश ने कहा: (एस. सी. सी पी. 724, पैरा 792)

" उन्हें अकेले बाहर करने के बाद, क्या वर्ग एक कॉम्पैक्ट होगा?

वर्ग। वास्तव में, इस तरह के बहिष्कार से वास्तव में पिछड़े लोगों को लाभ होता है।

(जोर दिया गया)

विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि पीछे की ओर आगे और बाकी पीछे की ओर के बीच एक रेखा खींचनी होती है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो एक हाथ से दिया जाता है वह दूसरे हाथ से न लिया जाए। "मलाईदार परत" के बहिष्करण का आधार केवल आर्थिक नहीं होना चाहिए, जब तक कि आर्थिक प्रगति इतनी अधिक न हो कि

अनिवार्य रूप से सामाजिक उन्नति का अर्थ है, जैसे कि एक सदस्य एक कारखाने का मालिक बन जाता है और स्वयं दूसरों को रोजगार देने में सक्षम होता है। ऐसे मामले में उसकी आय उसकी सामाजिक स्थिति का एक पैमाना है। किसानों के मामले में, कृषि भूमि स्वामित्व के संदर्भ में रेखा खींची जानी है। आय को एक उपाय के रूप में निर्धारित करते समय, सीमा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो एक हाथ से दूसरे हाथ से दिया जाता है उसे एक हाथ से ले लिया जाए। आय सीमा ऐसी होनी चाहिए जिसका अर्थ सामाजिक उन्नति हो।

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में फिर से कुछ कार्यालय हैं-जिनमें रहने वालों को आगे की जांच के बिना सामाजिक रूप से उन्नत माना जा सकता है, जैसे कि आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारी या अखिल भारतीय सेवाओं में अन्य। इन व्यक्तियों के मामले में, समाज में उनकी सामाजिक स्थिति काफी अधिक बढ़ जाती है और व्यक्ति अब सामाजिक रूप से वंचित नहीं रहता है।

उनके बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास करने का पूरा मौका मिलता है। वे जीवन की दौड़ में किसी भी तरह से विकलांग नहीं हैं। उनकी आय भी कि वे अभाव से परे हैं। यह तर्कसंगत है कि ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। अगर

ऊपर उल्लिखित श्रेणियों या वर्गों को बाहर नहीं रखा गया है, वे पिछड़े वर्ग के वास्तव में वंचित सदस्य हैं जिनके लिए वे

आरक्षण के लाभों से वंचित रहेंगे। इसलिए, केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाता है (पैरा 793) कि वह चार महीने के भीतर "मलाईदार परत" की पहचान करे और उसे अधिसूचित करे और ऐसी अधिसूचना के बाद, पिछड़े वर्ग के भीतर "मलाईदार परत" अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण के दायरे में नहीं आएगी। जीवन रेड्डी, जे. ने अंत में निर्देश दिया (प्रश्न 10 देखें) कि मलाईदार परत का बहिष्कार सामाजिक प्रगति के आधार पर होना चाहिए न कि

केवल आर्थिक हित के आधार पर। किसी व्यक्ति की आय या संपत्ति की सीमा को सामाजिक उन्नति के एक उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए-और उस आधार पर-किसी दिए गए जाति, समुदाय या व्यावसायिक समूह के भीतर "मलाईदार परत" को वास्तविक पिछड़े वर्ग तक पहुंचने के लिए बाहर रखा जाना चाहिए। एक का गठन किया जाना है

निकाय जो इन प्रश्नों में निम्नानुसार जा सकता है: (एस. सी. सी पी. 757, पैरा 847)

> " हम निर्देश देते हैं कि इस तरह के निकाय का गठन दोनों केंद्र में किया जाए
>
> से चार महीने के भीतर राज्यों के स्तर पर
>
> आज। ..... इन सूचियों का समय-समय पर संशोधन किया जाना चाहिए उन लोगों को बाहर करें जो पिछड़े या समावेशन के लिए नहीं रहे हैं
>
> नई कक्षाओं की, जैसा भी मामला हो "।
>
> (जोर दिया गया)

मलाईदार परत [पैरा 859, उप-पैरा (3) (डी) देखें] हो सकती है, और इसे बाहर रखा जाना चाहिए। मलाईदार परत को बाहर रखा जाना चाहिए और "आर्थिक मानदंड" को सामाजिक उन्नति के संकेत या माप के रूप में अपनाया जाना चाहिए [पैरा 860, उप-पैरा (5)]। सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को बाहर रखा जाना चाहिए [पैरा 861 (बी)]। इस तरह जीवन

रेड्डी, जे. ने स्थिति का सारांश दिया।

18. सावंत, जे. ने भी स्वीकार किया (पृ. एस. सी. सी. का 553) कि "पिछड़े वर्गों में कम से कम कुछ व्यक्ति और परिवार, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों।

क्षमताओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करें

संख्या में, हर क्षेत्र में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। यह एक निर्विवाद तथ्य है "। (जोर दिया गया) सामाजिक उन्नति का आकलन [2018] 10 एस. सी. आर. द्वारा किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" द्वारा प्राप्त अग्रगामी जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता

पिछड़े वर्गों के सदस्य या वर्ग। इसलिए, कानूनी रूप से, ये व्यक्ति या वर्ग जो उस स्तर तक पहुँच गए हैं, वे अब पिछड़े वर्ग के हिस्से के रूप में बुलाए जाने के हकदार नहीं हैं, चाहे उनका मूल जन्म चिन्ह कुछ भी हो। इन "आगे" को "पीछे की ओर" से निकालना "अनिवार्य" है क्योंकि इन व्यक्तियों ने रूबिकॉन (पीपी) को पार कर लिया है। 553-54) . इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि "प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता" का क्या अर्थ है, विद्वान न्यायाधीश ने समझाया (पैरा 522) कि यदि कोई व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी की सेवा से तृतीय श्रेणी में जाता है, तो वह है -

इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वह सामाजिक विकास के इस स्तर पर पहुँच गया है।

उन्नति लेकिन यदि व्यक्ति ने "उच्च स्तर के पदों" या कम से कम "उन स्तरों के करीब" के लिए सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा की है, तो वह पहुँच गया है।

ऐसा राज्य।

19. थॉममेन, जे. (पैरा 287,295,296,323) ने कहा कि यदि पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्य आवश्यक वित्तीय लाभ प्राप्त करते हैं।

खुद को ऊपर उठाने के लिए, संविधान उन्हें आरक्षण का संरक्षण नहीं देता है। मलाईदार परत को "हटा दिया जाना चाहिए" और बाहर कर दिया जाना चाहिए, अगर यह "एक निश्चित पूर्व निर्धारित आर्थिक स्तर" को प्राप्त कर चुका है।

20. कुलदिप सिंह, जे. (पैरा 385) ने पिछड़े वर्ग के "समृद्ध" वर्ग का उल्लेख किया। तुलनात्मक रूप से पिछड़े वर्ग के ऐसे (एस. आई. सी. अमीर) व्यक्ति-हालाँकि उन्होंने इससे अधिक धन अर्जित नहीं किया होगा।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये व्यक्ति सच्चे पिछड़े वर्ग के लिए होने वाले लाभों को "चबा" न सकें। " इन व्यक्तियों को आरक्षण के लाभों से अलग करने के लिए आर्थिक सीमा तय की जानी है। परिणामस्वरूप, पिछड़े वर्गों के "समृद्ध" वर्गों को समाप्त करने के लिए "साधन-परीक्षा" अनिवार्य है। 21. सहाय, जे. (पैरा 629) ने पाया कि सामूहिकता या समूह के बीच के व्यक्ति जिन्होंने "सामाजिक स्थिति" हासिल की हो सकती है।

या "आर्थिक समृद्धि", आरक्षण का दावा करने के लिए अयोग्य हैं। चयन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने माता-पिता की वार्षिक आय का खुलासा करना होगा, जो यदि एक स्तर से परे है, तो वे

पिछड़े वर्ग का हिस्सा होने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

नील सिंह और अन्य बनाम। लछमी नारायण गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सीमा क्या होनी चाहिए, यह राज्य द्वारा तय किया जाना चाहिए। आमदनी

इसके अलावा, प्रावधान किया जाना है कि उन पिछड़े वर्गों के बच्चे

जिन व्यक्तियों ने समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त किया है, चाहे वह

राजनीतिक या आर्थिक या यदि उनके माता-पिता उच्च सेवाओं में हैं

तब ऐसे व्यक्तियों को लाभ प्राप्त करने से रोका जाना चाहिए।

आरक्षण। "मलाईदार परत" का बहिष्करण एक सामाजिक लक्षय को प्राप्त करता है

उद्देश्य। इसे हटाने के लिए कोई विधायी या कार्यकारी कार्रवाई

अमान्य "। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 27 में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ

अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि मलाईदार परत सिद्धांत लेखों में लगता है

घ 16 (1) निम्नानुसार है:

" (i) समान और असमान, दोहरे पहलू

27. जैसा कि पिछड़े वर्ग में "मलाईदार परत" का इलाज किया जाना है

" अग्रगामी वर्गों के बराबर है और लाभों का हकदार नहीं है

आरक्षण के लिए, यह स्पष्ट है कि यदि "मलाईदार परत" नहीं है

इसके अलावा, अनुच्छेद 14 का भेदभाव और उल्लंघन होगा। और 16 (1) के बराबर (आगे और मलाईदार परत)

पिछड़े वर्गों) के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। फिर से, नहीं।

मलाईदार परत का बहिष्कार भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

16 (1) और भारत के संविधान के 16 (4) के बाद से असमान (

मलाईदार परत) को बराबर नहीं माना जा सकता है, अर्थात, बराबर बाकी पिछड़े वर्ग के लिए। इन दोहरे पहलुओं

सावंत के फैसले में भेदभाव को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है,

जे. जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित रूप में कहा: (एस. सी. सी पी. 553 , पैरा

520)

" [इस तरह के उन्नत अनुभागों को प्रदान करना जारी रखें। विशेष लाभ, समान रूप से असमान व्यवहार करने के बराबर होगा।

दूसरा, उन्हें बाकी पिछड़े वर्गों के साथ श्रेणीबद्ध करना।

यह असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने के बराबर होगा।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, किसी भी कार्यकारी या विधायी कार्रवाई को बाहर करने से इनकार करना

आरक्षण के लाभों से मलाईदार परत का उल्लंघन होगा

अनुच्छेद 14 और 16 (1) और अनुच्छेद 16 (4) भी। हम जांच करेंगे। उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में धारा 3,4 और 6 की वैधता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. अगला निर्णय जिसके बारे में हम सीधे तौर पर चिंतित हैं, वह है चिन्नैया (उपरोक्त) का निर्णय। इस मामले में आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण को तर्कसंगत बनाना) अधिनियम, 2000 की वैधता को आंध्र प्रदेश की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने चुनौती दी और खारिज कर दिया।

4 के बहुमत से प्रदेश उच्च न्यायालय: 1 . अनुसूचित जातियों के पक्ष में जो 15 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, उसे अलग-अलग प्रतिशत में चार समूहों के बीच विभाजित किया गया था-समूह ए 1 प्रतिशत की सीमा तक।

समूह बी 7 प्रतिशत तक; समूह सी 6 प्रतिशत तक; और समूह डी 1 प्रतिशत तक। संविधान पीठ की ओर से मुख्य निर्णय में, न्यायमूर्ति हेगड़े ने विचार के लिए तीन प्रश्न निर्धारित किए:

" 12. अभिलेख पर अभिवचनों और पहले संबोधित तर्कों से

हमारे विचार के लिए तीन प्रश्न उठते हैं:

(1) क्या विवादित अधिनियम के अनुच्छेद 341 (2) का उल्लंघन है

भारत का संविधान?

(2) क्या विवादित अधिनियम संवैधानिक रूप से अमान्य है

विधायी क्षमता की कमी के कारण?

(3) क्या विवादित अधिनियम अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण या सूक्ष्म वर्गीकरण करता है ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो?

तब अनुच्छेद 341 का उल्लेख किया गया था, जिसमें अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची को अधिसूचित किया जाना है। से कोई समावेशन या बहिष्करण

इसके बाद उक्त सूची केवल संसद द्वारा अनुच्छेद 341 (2) के तहत की जा सकती है (पैराग्राफ 13 देखें)। न्यायालय ने तब पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जातियों के समूहों में विभाजन को खारिज कर दिया और इंद्र साहनी (1) (ऊपर) को अलग किया (पैराग्राफ 19 से 21 देखें)। यह तब आयोजित किया गया था:

वे संविधान के तहत एक वर्ग हैं, किसी भी विचार के आधार पर व्यक्तियों के इन वर्गों का कोई भी विभाजन राष्ट्रपति की सूची के साथ छेड़छाड़ के बराबर होगा। इंद्र साहनी (1) (ऊपर) को तब संदर्भित और प्रतिष्ठित किया गया था।

इस प्रकार है:

नील सिंह और अन्य बनाम। लछमी नारायण गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 38. प्रत्यर्थियों की ओर से यह बताया गया कि इंद्र साहनी मामले [1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217] में न्यायालय ने अन्य पिछड़े समुदायों को उनके तुलनात्मक अविकसित विकास के आधार पर पिछड़े और अधिक पिछड़े के रूप में उपवर्गीकृत करने की अनुमति दी थी।

इसलिए, अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में गिने गए वर्ग के बीच इसी तरह का वर्गीकरण कानून में अनुमत है। हमें नहीं लगता कि इंद्र साहनी मामले (उपरोक्त) में अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के लिए निर्धारित सिद्धांतों को राष्ट्रपति की सूची में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण या उपसमूह के लिए एक पूर्ववर्ती कानून के रूप में लागू किया जा सकता है क्योंकि उसी निर्णय में विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्य जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए पूर्ववर्ती कानून के रूप में लागू किया जा सकता है।

पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होते हैं। हम समझते हैं कि इसका स्पष्ट कारण यह है कि संविधान ने स्वयं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों को रखा है।

जनजातियों को राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से सूचीबद्ध किया जाता है।

39. कानून में अंकित कानूनी संवैधानिक नीति को संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी का जवाब देना चाहिए। वर्गीकरण की अनुमति है या नहीं, यह उस वस्तु की कसौटी पर आंका जाना चाहिए जिसे प्राप्त करने की इच्छा है। यदि आरक्षण का उद्देश्य लेना है

एक वर्ग के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई जो सामाजिक, शैक्षिक रूप से हो और आर्थिक रूप से पिछड़े, राज्य का अधिकार क्षेत्र अपने कार्यकारी या विधायी कार्य का प्रयोग करते समय यह तय करना है कि उनके लिए सार्वजनिक सेवा या शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किस हद तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारी राय में, इस तरह के वर्ग को उपविभाजित नहीं किया जा सकता है ताकि अधिक वरीयता दी जा सके।

वरीयता में अनुसूचित जातियों का एक छोटा अनुपात

40. इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 335 द्वारा दिए गए कुशल प्रशासन पर भी विचार किया जाना चाहिए जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे संघ की सेवाओं में रोजगार पर विचार किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा:

" 43. तथ्य यह है कि अनुसूचित जातियों के सदस्य पिछड़े वर्गों में सबसे पिछड़े हैं और विवादित कानून पहले ही इस आधार पर आगे बढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 15 [2018] 10 एस. सी. आर. के खंड (4) के संदर्भ में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

और संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) में सूक्ष्म वर्गीकरण के माध्यम से एक और वर्गीकरण की अनुमति नहीं है। विभिन्न वर्गों के लोगों का उनकी संबंधित जातियों के आधार पर इस तरह का वर्गीकरण भी तर्कसंगतता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 341 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सूची से जाति के किसी हिस्से या समूह को भी बाहर करना केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। इसका तार्किक परिणाम यह होगा कि राज्य विधानमंडलों को ऐसा करने से मना किया गया है। लाभ देने के लिए एक समान मानदंड अपनाया जाना चाहिए।

के उद्देश्य के लिए अनुसूचित जातियों के सदस्य

44. ऊपर बताए गए कारणों से, हमारी यह सुविचारित राय है कि विवादित विधान राज्य की विधायी क्षमता से परे होने के अलावा संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करता है। संविधान और इसलिए इसे संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया जा सकता है।

एक अलग सहमति वाले फैसले में, सिन्हा, जे., पैराग्राफ में एक साहनी (1) (ऊपर) और मलाईदार परत अवधारणा का उल्लेख करने के बाद

कहने के लिए आगे बढ़ें:

" 96. लेकिन हमें यह बताना चाहिए कि जब भी अनुसूचित जाति के संबंध में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के संदर्भ में आवश्यक विधायी कदम उठाना अकेले संसद का काम होगा। संविधान। राज्यों के पास इसके लिए विधायी क्षमता नहीं है।

एस ने तब निष्कर्ष निकाला:

" 111. संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के संदर्भ में कुछ जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों का उद्देश्य अनुसूचित जाति आदेश और अनुसूचित जनजाति आदेश में निर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग को आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे पीड़ित हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 (1) के संदर्भ में अकेले भारत के राष्ट्रपति को इसके लिए एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 341 (1) के संदर्भ में बनाया गया संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 संपूर्ण है। जरनैल सिंह और अन्य बनाम।

लछमी नारायण गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इस प्रकार, न्यायालय ने आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का तर्कसंगतकरण) अधिनियम, 2000 को निरस्त कर दिया। 10. चिन्नैया (ऊपर) में निर्णय को तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिनांकित 20.08.2014 के आदेश द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा गया है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि तीन न्यायाधीशों की पीठ के अनुसार, चिन्नैया (ऊपर) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 और इंदर साहनी (1) (ऊपर) के विपरीत है। चूँकि चिन्नैया (ऊपर) की शुद्धता हमारे सामने नहीं आती है, इसलिए हमें इस संदर्भ के बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है जो होगा

अपने गुणों के आधार पर निर्णय लिया।

11. इस फैसले के बाद नागराज मामले में फैसला आया है।

(ऊपर)। इस मामले में, अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) को जोड़ने को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

संविधान। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि समानता लोकतंत्र का सार है और तदनुसार, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है (पैराग्राफ 33 देखें)। इस सिद्धांत के अनुप्रयोग के मामले में कार्य परीक्षण तब लागू किया गया था, जो इंदिरा नेहरू गांधी बनाम में जे. चंद्रचूड़ के फैसले का उल्लेख करता है। राज नारायण और अन्र। , 1975 मान लीजिए एस. सी. सी. 1 (पैराग्राफ 37 देखें)

और 38)। आरक्षण और इसके विस्तार पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने तब संवैधानिक संशोधनों की बारीकियों पर गौर किया और निम्नानुसार निर्णय दिया:

" क्या विवादित संवैधानिक संशोधनों का उल्लंघन होता है

मूल संरचना का सिद्धांत?

101. विवादित संशोधन अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले में जो प्रमुख प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या इन अधिनियमों की संशोधन शक्ति पर संवैधानिक सीमाएं हैं।

संसद को विवादित संशोधनों द्वारा मिटा दिया जाता है ताकि

संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। 102. बुनियादी संरचना के सिद्धांत के अनुप्रयोग के मामले में, दोहरे परीक्षणों को संतुष्ट करना होगा, अर्थात्, "चौड़ाई परीक्षण" और "पहचान" का परीक्षण। जैसा कि ऊपर कहा गया है, "पकड़" नियम और "परिणामी वरिष्ठता" की अवधारणा संवैधानिक नहीं है।

आवश्यकताएँ। वे अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (4) में निहित नहीं हैं। वे संवैधानिक सीमाएँ नहीं हैं। वे अवधारणाएँ हैं।

सेवा न्यायशास्त्र से व्युत्पन्न। वे संवैधानिक सिद्धांत नहीं हैं। वे धर्मनिरपेक्षता, संघवाद आदि जैसे स्वयंसिद्ध नहीं हैं। इन अवधारणाओं का विस्मरण या इन अवधारणाओं का सम्मिलन [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 द्वारा इंगित समानता संहिता को न बदलें। अनुच्छेद 16 का खंड (1) राज्य को अनिवार्य हितों का संज्ञान लेने से नहीं रोक सकता है।

विशिष्ट। इन तीन कारकों की पहचान करने और मापने के लिए कोई निश्चित पैमाना नहीं है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। राज्य द्वारा शक्ति के प्रयोग के तरीके पर ये सीमाएँ हैं। विवादित संशोधनों द्वारा इनमें से किसी भी सीमा को नहीं हटाया गया है। यदि संबंधित राज्य विफल रहता है पिछड़ेपन, अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता की पहचान करना और मापना तब उस स्थिति में आरक्षण का प्रावधान अमान्य होगा। ये संशोधन अनुच्छेद 14,15 और 16 (इक्विटी कोड) की संरचना को नहीं बदलते हैं। अनुच्छेद 16 (4) में उल्लिखित मापदंडों को बरकरार रखा गया है। खंड (4-ए) अनुच्छेद 16 के खंड (4) से लिया गया है। खंड (4-ए) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित है। इसलिए, वर्तमान मामला संविधान की पहचान को नहीं बदलता है। "संशोधन" शब्द का अर्थ परिवर्तन है। सवाल यह है कि क्या विवादित संशोधन

मूल संविधान को त्याग दें। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह जोरदार आग्रह किया गया था कि उद्देश्यों और कारणों का विवरण

यह इंगित करता है कि इस न्यायालय के निर्णयों को रद्द करने के लिए संसद द्वारा विवादित संशोधनों को लागू किया गया है। हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। के अनुच्छेद 141 के तहत

भूमि। विरपाल सिंह [(1995) 6 एस. सी. सी. 684 1996 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1 में इस न्यायालय के निर्णयः (1995) 31 एटीसी 813], अजीत सिंह (1) [(1996) 2 एससीसी 715: 1996 एससीसी (एल एंड एस) 540: (1996) 33 एटीसी 239: ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1189], अजीत सिंह (द्वितीय) [(1999) 7 एस. सी. सी. 209: 1999 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1239] और इंद्रा साहनी [1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217 नील सिंह और अन्य बनाम।

लछमी नारायण गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

: 1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1: (1992) 22 ए. टी. सी. 385] इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय थे जो देश के कानून को स्पष्ट करते थे। यह वह कानून है जिसे विवादित लोगों द्वारा बदला जाना चाहिए।

संवैधानिक संशोधन। विवादित संवैधानिक

संशोधन प्रकृति में सक्षम कर रहे हैं। वे आरक्षण प्रदान करने के लिए इसे राज्यों पर छोड़ देते हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संसद एक कानून बनाते समय "अधिकार" के लिए सामग्री प्रदान नहीं करती है। विषय-वस्तु उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा प्रदान की जाती है। अगर

उपयुक्त सरकार अनुच्छेद 16 (4) और अनुच्छेद 335 के मापदंडों को ध्यान में रखे बिना आरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून बनाती है तो यह न्यायालय निश्चित रूप से ऐसे कानून को दरकिनार कर देगा और रद्द कर देगा। "चौड़ाई परीक्षण" को लागू करने पर, हम विलोपन नहीं पाते हैं।

" पहचान ", हम समानता संहिता की मौजूदा संरचना में कोई बदलाव नहीं पाते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोई भी स्वयंसिद्ध नहीं है धर्मनिरपेक्षता, संघवाद आदि जो व्यापक सिद्धांत हैं, विवादित संवैधानिक संशोधनों द्वारा उनका उल्लंघन किया गया है। समानता के दो पहलू हैं-"औपचारिक समानता" और "आनुपातिक समानता"। आनुपातिक समानता "वास्तव में" समानता है जबकि औपचारिक समानता "कानून में" समानता है। कानून के शासन में औपचारिक समानता मौजूद है। आनुपातिक समानता के मामले में राज्य से उदार लोकतंत्र के ढांचे के भीतर समाज के वंचित वर्गों के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने की उम्मीद की जाती है। समतावादी समानता है

आनुपातिक समानता "। XXX XXX XXX

" 104. उपरोक्त परीक्षणों को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, किसी भी विवादित व्यक्ति द्वारा मूल संरचना का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

संविधान (82) संशोधन अधिनियम, 2000 सहित संशोधन। अनुच्छेद के तहत संवैधानिक सीमा

335 आराम से और मिटाया नहीं जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, चाहे वह आरक्षण हो या मूल्यांकन, दोनों में से किसी में अधिकता के परिणामस्वरूप संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन होगा। हालाँकि, यह अभ्यास प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। हमारे विचार में, संशोधन शक्ति के प्रयोग के क्षेत्र को विवादित संशोधनों द्वारा बरकरार रखा गया है, क्योंकि विवादित संशोधनों ने केवल सक्षम प्रावधान पेश किए हैं क्योंकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, योग्यता, दक्षता, पिछड़ेपन और अपर्याप्तता को शून्य में पहचाना और मापा नहीं जा सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 16 (4-ए) और अनुच्छेद 16 (4-बी) पैटर्न [2018] 10 एस. सी. आर. में आते हैं।

अनुच्छेद 16 (4) और जब तक उन अनुच्छेदों में उल्लिखित मापदंडों का राज्यों द्वारा पालन किया जाता है, तब तक आरक्षण के प्रावधान को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) अनुच्छेद 16 (4) के तहत समानता के सिद्धांत के तहत वर्गीकरण हैं।"

न्यायालय ने तब निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

" 121. विवादित संवैधानिक संशोधन जिनके द्वारा अनुच्छेद

पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता जो सक्षम बनाती है राज्यों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए आरक्षण का प्रावधान करना

विवादित संशोधन केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित हैं। वे. किसी भी संवैधानिक आवश्यकता को समाप्त न करें, अर्थात् -

50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा (मात्रात्मक सीमा), मलाईदार परत (गुणात्मक बहिष्करण) की अवधारणा, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच उप-वर्गीकरण।

एक ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जैसा कि इंद्र में माना गया है।

साहनी [1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217: 1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1: (1992) 22 ए. टी. सी. 385], इनबिल्ट के साथ पोस्ट-आधारित रोस्टर की अवधारणा

आर. के. सभरवाल में प्रतिस्थापित करने की अवधारणा [(1995) 2 एससीसी 745: 1995 एससीसी (एल एंड एस) 548: (1995) 29 एटीसी 481]।

122. हम दोहराते हैं कि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा, की अवधारणा

मलाईदार परत और मजबूर करने वाले कारण, अर्थात्, पिछड़ेपन,

प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता सभी संवैधानिक आवश्यकताएँ हैं जिनके बिना संरचना

अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता समाप्त हो जाएगी।

123. हालाँकि, इस मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुख्य मुद्दा

बाध्यकारी कारण, अर्थात्, पिछड़ेपन, अपर्याप्तता बनाने से पहले प्रतिनिधित्व और समग्र प्रशासनिक दक्षता

आरक्षण का प्रावधान। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विवादित प्रावधान

एक सक्षम प्रावधान है। राज्य आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है

पदोन्नति के मामलों में एससीएस/एसटी के लिए। लेकिन अगर वे चाहते हैं कि

अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए और ऐसा प्रावधान करते हुए, राज्य ने

वर्ग के पिछड़ेपन को दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना

और सार्वजनिक रूप से उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता जरनैल सिंह और अन्य v.

लछमी नारायण गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अनुच्छेद 335 के अनुपालन के अलावा रोजगार। इसे बनाया जाता है।

स्पष्ट करें कि भले ही राज्य के पास सम्मोहक कारण हों, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य को यह देखना होगा कि उसके आरक्षण प्रावधान से 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन न हो या क्रीमी लेयर समाप्त न हो या आरक्षण को अनिश्चित काल तक बढ़ाया न जा सके।

124. उपरोक्त के अधीन रहते हुए, हम संविधान (77 वां संशोधन) अधिनियम, 1995; संविधान (80 वां संशोधन) अधिनियम, 2000; संविधान (82 वां संशोधन) अधिनियम, 2000 और संविधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हैं।

(85 वां संशोधन) अधिनियम, 2001 "।

12. अब हम अशोक कुमार ठाकुर बनाम मामले में संविधान पीठ के फैसले पर आते हैं। भारत संघ, (2008) 6 एस. सी. सी. 1. इस मामले में संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा अंत:स्थापित अनुच्छेद 15 (5) को चुनौती दी गई थी। बालकृष्णन, सी. जे., विभिन्न का उल्लेख करने के बाद

आरक्षण से संबंधित इस न्यायालय के निर्णयों में विशेष रूप से कहा गया है कि "क्रीमी लेयर" सिद्धांत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह केवल पिछड़े वर्ग की पहचान का सिद्धांत है और समानता के सिद्धांत के रूप में लागू नहीं होता है (पैराग्राफ 177 से 186 देखें)। पसायत, जे. ने अपने और ठक्कर, जे. के लिए बोलते हुए कहा कि वर्तमान मामले में ध्यान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर नहीं बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों पर था (पैराग्राफ 293 देखें)। भंडारी, जे. ने पैराग्राफ 395 और 633 में इस प्रकार कहा है:

" 395. साहनी में (1) [1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217: 1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1: (1992) 22 ए. टी. सी. 385] पूरी चर्चा सीमित थी

केवल अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। इसी तरह, तत्काल मामले में,

XXX XXX XXX

“ 633. इंद्रा साहनी (1) [1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217: 1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1: (1992) 22 ए. टी. सी. 385], क्रीमी लेयर बहिष्करण केवल ओ. बी. सी. के संबंध में था। रेड्डी, जे. एस. सी. सी पी. में बहुमत के लिए बोल रहे हैं। 725 , पैरा 792 में कहा गया है कि उनकी चर्चा केवल अन्य पिछड़े वर्गों तक ही सीमित है और मामले में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों का "। इसी तरह, तत्काल मामले में, पूरी चर्चा केवल अन्य पिछड़े [2018] 10 एस. सी. आर. तक ही सीमित थी।

कक्षाएँ। इसलिए, मैं इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करता हूं

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मलाईदार परत के बहिष्करण की प्रयोज्यता।

रवींद्रन, जे., ने एक अलग निर्णय में, नागराज (ऊपर) का उल्लेख करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

16 (4) , अनुच्छेद 15 (4) और (5) में आने वाले "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग" की तुलना में बहुत व्यापक "पिछड़े वर्ग" से निपटने के लिए, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मलाईदार परत को हटाए बिना सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं हो सकता है। वर्ग। इसलिए, जब किसी जाति की पहचान सामाजिक रूप से की जाती है और

शैक्षिक रूप से पिछड़ी जाति, यह एक "सामाजिक और

शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग "केवल तभी जब वह अपनी क्रीमी खो देता है

परत "।

न्यायालय ने अंततः संविधान (नब्बे-तिहाई) को बरकरार रखा।

जहाँ तक "निजी गैर-सहायता प्राप्त" शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है, वे संवैधानिक रूप से मान्य नहीं हैं। 13. इस स्तर पर, इस तर्क से निपटना आवश्यक है कि नागराज (सुप्रा) पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह चिन्नाया के साथ संघर्ष करता है।

(ऊपर)। यह देखा जाएगा कि हालांकि नागराज (ऊपर) एक बाद का निर्णय है, लेकिन यह चिन्नाया (ऊपर) का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करता है। अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए कुछ विद्वान वकीलों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हेगड़े, जे. का बहुमत निर्णय मलाईदार परत सिद्धांत को बिल्कुल भी संदर्भित नहीं करता है। चिन्नायाह के फैसले (ऊपर) में संक्षेप में कहा गया कि आंध्र प्रदेश अनुसूचित जातियाँ

(आरक्षण का तर्कसंगतकरण) अधिनियम, 2000, जिसे उसने माना था, अनुसूचित जातियों को चार श्रेणियों में विभाजित नहीं कर सकता था, जैसा कि जरनैल सिंह और अन्य बनाम।

लछमी नारायण गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (2) का उल्लंघन होगा क्योंकि राष्ट्रपति की सूची में कोई भी बदलाव केवल संसद ही कर सकती है न कि राज्य विधानमंडलों में। यह कि यह निर्णय का सही अनुपात है, पैराग्राफ के पढ़ने से स्पष्ट है कि

यहाँ ऊपर निर्धारित किए गए हैं। यह मामला होने के नाते, जैसा कि चिन्नैया (ऊपर) किसी भी तरह से उन पहलुओं से संबंधित नहीं है जिन पर नागराज के मामले (ऊपर) में संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा गया था, हम

उनका विचार है कि नागराज (सुप्रा) के लिए चिन्नैया (सुप्रा) का उल्लेख करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। हालाँकि, यह आगे तर्क दिया गया कि इस अनुपात के अलावा, चिन्नैया (उपरोक्त) ने यह भी निर्णय लिया कि आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का तर्कसंगतकरण) अधिनियम, 2000 द्वारा बनाया गया अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। चिन्नैया (ऊपर) ने इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बताया था क्योंकि यह सूची के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर होगा, जैसा कि माना गया था, यह केवल संसद द्वारा किया जा सकता है न कि राज्य विधानमंडलों द्वारा। हमारी राय में, निर्णय का सही अनुपात अनुच्छेद 341 के निर्माण से आता है। यह सच है कि विचाराधीन आंध्र प्रदेश अधिनियम भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला पाया गया था। हम केवल यह कह सकते हैं कि चिन्नैया (उपरोक्त) एक पूरी तरह से अलग समस्या से निपटते थे, इसके अलावा एक राज्य क़ानून से निपटते थे, न कि एक संवैधानिक कानून से।

संशोधन, जैसा कि नागराज (ऊपर) में किया गया था।

14. यह हमें इस बात पर लाता है कि क्या नागराज (ऊपर) में निर्णय

जिन अन्य आधारों पर हमारे सामने तर्क दिए गए हैं, उन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। जहाँ तक वर्ग के पिछड़ेपन का संबंध है, राज्य को मात्रात्मक आंकड़े दिखाने हैं, हमें डर है कि हमें श्री शांति भूषण के तर्क को अस्वीकार कर देना चाहिए। "वर्ग" का संदर्भ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है, और उनकी अपर्याप्तता सार्वजनिक रोजगार में प्रतिनिधित्व। इसलिए यह स्पष्ट है कि नागराज (उपरोक्त) ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने होंगे। हमे डर है कि फैसले का यह हिस्सा है

इंदर साहनी (1) (ऊपर) में नौ न्यायाधीशों की पीठ के सीधे विपरीत। जीवन रेड्डी, जे. ने अपने और तीन अन्य विद्वान न्यायाधीशों के लिए बोलते हुए स्पष्ट रूप से कहा था, "सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की परीक्षा या आवश्यकता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं की जा सकती है, जो निर्विवाद रूप से" अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पिछड़ा वर्ग "अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं।

नागरिक "। (पैराग्राफ 796 से 797 देखें)। समान रूप से, डॉ. जस्टिस थॉममेन ने पैराग्राफ 323 (4) में अपने निष्कर्ष में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 323. सारांश XXX XXX XXX

(4) केवल ऐसे नागरिक वर्ग जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, वे पिछड़े वर्गों के रूप में पहचाने जाने के योग्य हैं। अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए, उनके पिछड़ेपन को या तो अनुच्छेद 341 या अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से मान्यता दी जानी चाहिए थी, जिसमें उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था, या एक वस्तुनिष्ठ विचार पर, राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से इतने पिछड़े होने के लिए पहचाने गए पूर्व भेदभाव और इसके निरंतर दुष्प्रभावों के कारण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के साथ तुलनीय होने के कारण पहचाना गया था। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के मामले में, अधिसूचनाओं को देखते हुए, इन शर्तों को माना जाता है -

संतुष्ट '।

15. वास्तव में, चिन्नैया (ऊपर) ने अनुसूचित जातियों को पिछड़े वर्गों में सबसे पिछड़े के रूप में संदर्भित किया है (पैराग्राफ 43 देखें)। यही कारण है कि राष्ट्रपति की सूची में शामिल हैं केवल वे जातियाँ या समूह या उनके कुछ हिस्से, जिन्हें अछूत माना गया है। इसी तरह, राष्ट्रपति की अनुसूचित जनजातियों की सूची केवल दूरदराज के पिछड़े क्षेत्रों की उन जनजातियों को संदर्भित करती है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

बहुत पीछे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब नागराज (ऊपर) राज्यों को पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है, जहां तक

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से इंदर साहनी (1) (ऊपर) के विपरीत होगा और इस आधार पर इसे खराब घोषित करना होगा।

हालाँकि, जब क्रीमी लेयर सिद्धांत की बात आती है, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिद्धांत अनुच्छेद 14 और 16 (1) में दिखता है, क्योंकि एक ही वर्ग के भीतर असमान लोगों के साथ अन्य वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है।

उस वर्ग के सदस्य। इस सिद्धांत की उत्पत्ति केरल और अन्र राज्य में पाई जाती है। वी. एन. एम. थॉमस और ओआरएस। , (1976) 2 एससीसी 310। यह मामला निचले डिवीजन क्लर्कों से उच्च डिवीजन क्लर्कों में पदोन्नति में एक परीक्षण-छूट नियम से संबंधित था। ए 5 द्वारा: 2 बहुमत निर्णय, उक्त नियम को एक नियम के रूप में बरकरार रखा गया था जिसे इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता था कि यह

आम तौर पर पिछड़े वर्गों को एक पैर देने के साधन के रूप में आवश्यक हो गया था। पैराग्राफ 124 में, जे. कृष्ण अय्यर ने राय दी:

नील सिंह और अन्य बनाम। लछमी नारायण गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भाग्यशाली परतें पूरे केक का सेवन करती हैं। दूसरा, लोकतंत्र में इस दावे को बड़े और मुखर समूहों द्वारा अतिरंजित रूप से पेश किया जाता है, जिनके पिछड़ेपन का बोझ काफी हद तक कम हो गया है समय और बेहतर शिक्षा के उपायों और रोजगार के अधिक अवसरों के साथ, लेकिन "कमजोर" को पहनना चाहते हैं

अंतर-जाति और अंतर-वर्ग विवाह एक बड़े राज्य कार्यक्रम के रूप में प्रायोजित हैं, और इस समाधान को गणना से छिपा दिया गया है पिछड़ेपन में निहित स्वार्थ वाले उच्च "पिछड़े" समूह। लेकिन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, न्यायिक नहीं

प्रभाववाद ही पूरी सच्चाई बताएगा और "दलित" श्रेणियों द्वारा दर्ज की गई प्रगति के वस्तुनिष्ठ पुनर्मूल्यांकन की एक निरंतर प्रक्रिया आवश्यक है ताकि एक बार योग्य "आरक्षण" को "विपरीत भेदभाव" में बदल दिया जाए। नवाचारों में वास्तव में अछूते, सबसे पिछड़े वर्गों की मदद करने के लिए प्रशासनिक रणनीति भी इस तरह के सामाजिक-कानूनी अध्ययन और लेखा परीक्षा अभ्यासों से उभरती है, अगर इसे निष्पक्ष रूप से किया जाता है। वास्तव में, ए. एन. सिन्हा इंस्टीटचूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना द्वारा किए गए शोध ने हरिजनों के बीच एक दोहरे समाज का खुलासा किया है, जो एक छोटा सा अभिजात वर्ग है।

निहिलिज्म "(तरीके और परिणाम, खंड। 4 संग्रहित निबंध)।] , "उच्च" हरिजनों को जाने वाला उपहार। मैं वर्तमान मामले में इसका उल्लेख करता हूं क्योंकि निचले डिवीजन के क्लर्कों को हरिजन मानवता और पदोन्नति की संभावनाओं के निम्नतम स्तरों से लिए जाने की संभावना है। कुछ समय के लिए, इस श्रेणी के लिए "परीक्षण" योग्यता को वापस लेने से शायद गहराई से पता चल सकता है। एक समानतावादी

एक पदानुक्रमित संरचना में सफलता के लिए कई हथियारों का उपयोग करना पड़ता है और नियम 13-एए शायद एक है।

आरक्षण का पूरा उद्देश्य यह देखना है कि नागरिक पिछड़े वर्ग आगे बढ़ें ताकि वे आरक्षण के साथ हाथ मिला कर आगे बढ़ सकें।

समान आधार पर भारत के अन्य नागरिक। यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि केवल उस वर्ग के भीतर की मलाईदार परत ही सार्वजनिक क्षेत्र में सभी प्रतिष्ठित नौकरियों को हासिल कर लेती है और खुद को स्थायी बना लेती है, जिससे बाकी वर्ग हमेशा की तरह पिछड़े रह जाते हैं। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि जब कोई न्यायालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर मलाईदार सिद्धांत लागू करता है, तो वह किसी भी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 या 342 के तहत राष्ट्रपति सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। उक्त सूची में नामित जाति या समूह या उप-समूह ठीक पहले की तरह जारी है। यह केवल उस समूह या उप-समूह के भीतर के वे व्यक्ति हैं, जो क्रीमी लेयर से संबंधित होने के कारण अस्पृश्यता या पिछड़ेपन से बाहर आए हैं, जिन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा गया है। यहां तक कि ये व्यक्ति जो राष्ट्रपति की सूची में समूह या उप-समूह में शामिल हैं, वे भी उन सूचियों में बने हुए हैं। जब अनुच्छेद 14 और 16 के तहत आरक्षण सिद्धांत को लागू करने की बात आती है, तभी उस उप-समूह के भीतर क्रीमी लेयर को इस तरह के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है।

16. हम इस बात पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते कि संसद राष्ट्रपति की सूची से मलाईदार परत को हटा सकती है या नहीं।

अनुच्छेद 341 और 342 के तहत निहित। इस धारणा पर भी कि अनुच्छेद 341 और 342 संसद को इन सूचियों में निहित समूहों या उप-समूहों से मलाईदार परत को बाहर करने का अधिकार देता है, यह स्पष्ट है। कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को लागू करने वाले संवैधानिक न्यायालयों को क्रीमी लेयर को बाहर करने के लिए इस अभ्यास में इस तथ्य से विफल नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति किसी विशेष समूह या उप समूह के भीतर बताए गए हैं।

क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने पर संसद द्वारा राष्ट्रपति सूची में समूह को बाहर रखा जा सकता है। संवैधानिक कानून में अक्सर लागू किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत है। जब अनुच्छेद 14 और 16 की अन्य अनुच्छेद 341 और 342 के साथ सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि

संसद को प्रासंगिक कारकों के आधार पर राष्ट्रपति की सूची से व्यक्तियों को शामिल करने या बाहर करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। इसी तरह,

संवैधानिक न्यायालय, आरक्षण के सिद्धांत को लागू करते समय, ऐसे समूहों से मलाईदार परत को बाहर करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होंगे। या उप-समूह जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के सिद्धांतों को लागू करते हैं। हम बालकृष्णन, जरनैल सिंह और अन्य बनाम से सहमत नहीं हैं।

अशोक कुमार ठाकुर (ऊपर) में सी. जे. का कथन है कि क्रीमी

परत सिद्धांत केवल पहचान का एक सिद्धांत है न कि समानता का सिद्धांत।

17. इसलिए, जब नागराज (सुप्रा) ने मलाईदार परत लगाई

अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) की ओर ले जाने वाले संवैधानिक संशोधनों को बनाए रखने के लिए मूल संरचना परीक्षण के अनुप्रयोग का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए परीक्षण, यह किसी भी तरह से अनुच्छेद 341 या अनुच्छेद 342 के तहत संसद की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए हम हैं, स्पष्ट रूप से यह राय है कि निर्णय के इस भाग पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है, और परिणामस्वरूप, नागराज (उपरोक्त) को सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। हम इस मोड़ पर यह भी जोड़ सकते हैं कि नागराज (उपरोक्त) इस न्यायालय के पांच विद्वान न्यायाधीशों का एक सर्वसम्मत निर्णय है जो वर्ष 2006 से प्रभावी है। इस निर्णय का बार-बार पालन किया गया है और इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा लागू किया गया है, अर्थात्:

ए। अनिल चंद्र बनाम। राधा कृष्ण गौर, (2009) 9 एस. सी. सी. 454

(दो-न्यायाधीशों की पीठ) (पैराग्राफ 17 और 18 देखें)।

बी। सूरज भान मीणा और अन्र। वी. राजस्थान राज्य और अन्य। ,

(2011) 1 एस. सी. सी. 467 (दो-न्यायाधीशों की पीठ) (पैराग्राफ 10,50 और 67 देखें)।

सी। यू. पी. पावर कॉर्पोरेशन बनाम राजेश कुमार और अन्य। , (2012)

7 एस. सी. सी. 1 (दो-न्यायाधीशों की पीठ) (पैराग्राफ 61,81 (ix) देखें, और

86) .

डी। एस. पन्नीर सेल्वम और अन्य। वी. तमिलनाडु राज्य और अन्य। , (2015) 10 एस. सी. सी. 292 (दो-न्यायाधीशों की पीठ) (पैराग्राफ 18 देखें,

19 , और 36)।

ई. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

& ओआरएस। वी. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एससी/एसटी कर्मचारी

कल्याण संघ और अन्य। , (2015) 12 एस. सी. सी. 308 (दो-न्यायाधीश न्यायपीठ) (पैराग्राफ 9 और 26 देखें)।

एफ. सुरेश चंद गौतम बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य।, (2016) 11

एस. सी. सी. 113 (दो-न्यायाधीशों की पीठ) (पैराग्राफ 2 और 45 देखें)।

बी. के. पवित्रा और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य।, (2017) 4

जी।

एस. सी. सी. 620 (दो-न्यायाधीशों की पीठ) (पैराग्राफ 17 से 22 देखें)।

इसके अलावा, नागराज (ऊपर) को बड़ी पीठों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

इस न्यायालय के बारे में:

ए। सामान्य श्रेणी कल्याण संघ बनाम। भारत संघ,

(2012) 7 एस. सी. सी. 40 (तीन-न्यायाधीश पीठ) (पैराग्राफ 2 देखें)

और 3)।

बी। रोहतास भंकर बनाम। भारत संघ, (2014) 8 एस. सी. सी. 872

(पाँच-न्यायाधीश पीठ) (पैराग्राफ 6 और 7 देखें)।

वास्तव में, नागराज (ऊपर) में निर्धारित परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए कि क्या

स्पष्ट रूप से

एक संवैधानिक संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन करता है

आई. आर. कोएल्हो (मृत) मामले में इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एल. आर. द्वारा अनुमोदित। वी. तमिलनाडु राज्य और अन्य। , (2007) 2 एस. सी. सी. 1 (पैराग्राफ 61,105 और 142 देखें)। निर्णय की संपूर्णता, स्पष्ट रूप से गलत होने की जगह, मूल संरचना सिद्धांत को सही ढंग से लागू करती है

कुछ शर्तों पर संवैधानिक संशोधनों को बनाए रखें जो मूल संरचना के हिस्से के रूप में समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं। इस प्रकार, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर नागराज (ऊपर) में निर्धारित मापदंडों पर मात्रात्मक डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसका न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि डेटा संबंधित संवर्ग से संबंधित होगा।

18. डॉ. धवन ने यू. पी. पावर में फैसले का उल्लेख किया

निगम लिमिटेड (ऊपर), और हमारे सामने संविधान रखा (एक

एक सौ सत्रहवाँ संशोधन) विधेयक, 2012। यह विधेयक राज्यसभा द्वारा 17.12.2012 पर पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा में पर्याप्त संख्या में वोट प्राप्त करने में विफल रहा और इसलिए, एक अधिनियम नहीं बन सका। यह विधेयक यू. पी. पावर कॉरपोरेशन में फैसले के बाद पेश किया गया था।

लिमिटेड (ऊपर), और अनुच्छेद 16 (4-ए) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया होगा:

क्रमशः अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया जाएगा पिछड़े माने जाने वाले और इस अनुच्छेद में कुछ भी रोकने वाला नहीं होगा।

राज्य के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से किसी भी वर्ग या वर्ग में परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति

प्रतिशत की सीमा तक जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए आरक्षण का

राज्य की सेवाओं में जनजातियाँ "। जरनैल सिंह और अन्य बनाम।

लछमी नारायण गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उक्त विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है -

निम्नलिखित है:

" संवैधानिक संशोधनों की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने एम. नागराज बनाम के मामले में संवैधानिक संशोधनों की वैधता के मुद्दे पर विचार-विमर्श करते हुए। यूओआई और ओआरएस। , यह पाया गया कि संबंधित राज्य को प्रत्येक मामले में प्रावधान करने से पहले पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता जैसे बाध्यकारी कारणों का अस्तित्व दिखाना होगा। पदोन्नति में आरक्षण।

एम. नागराज मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

इस मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रमशः राजस्थान राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य की सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। तत्पश्चात, उच्चतम न्यायालय ने इन उच्च न्यायालयों के फैसलों को बरकरार रखा है जिनके लिए प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है

संबंधित राज्यों में आरक्षण।

यह देखा गया है कि संग्रह में कठिनाई है

वर्ग के पिछड़ेपन को दर्शाने वाला मात्रात्मक डेटा और

सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता। इसके अलावा, इसकी कार्यप्रणाली पर अनिश्चितता है। व्यायाम करें "।

यह देखा जाएगा कि इस विधेयक में दो चीजें हैं जो पहले से अधिनियमित अनुच्छेद 16 (4-ए) से अलग हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है अनुच्छेद 341 और 342 के तहत पिछड़े माना जाएगा, जो यह स्पष्ट करता है कि पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए किसी भी मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यह मामला दर मामला आधार पर निर्धारित करने के लिए राज्यों पर छोड़ने के बजाय कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्य के तहत सेवाओं में पदों के किसी भी वर्ग या वर्गों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, प्रतिस्थापित प्रावधान इसे राज्य के विवेक पर नहीं छोड़ता है, बल्कि यह निर्दिष्ट करता है कि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए आरक्षण के प्रतिशत की सीमा तक होगा।

राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियाँ। यह संशोधन इसलिए आवश्यक था क्योंकि यू. पी. पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने उत्तर की धारा 3 (7) को निरस्त कर दिया था।

प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, अनुसूचित [2018] 10 एस. सी. आर.

एस और अन्य पिछड़ा वर्ग) अधिनियम, 1994 और यू. पी. का नियम 8ए।

कर्मचारी वरिष्ठता नियम, 1991, जो निम्नानुसार है:

" 3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के पक्ष में आरक्षण

जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग।

(1) - (6)

XXX XXX XXX

(7) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को नियुक्ति के लिए सरकारी आदेशों के तहत आरक्षण लागू था - पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि वे संशोधित या निरस्त नहीं हो जाते।

" 8 - ए. किसी व्यक्ति को परिणामी वरिष्ठता का अधिकार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित।

इन नियमों के नियम 6,7 या 8 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति

जनजातियाँ, आरक्षण के शासन के आधार पर उनकी पदोन्नति पर /

रोस्टर, परिणामी वरिष्ठता के भी हकदार हों।

इस न्यायालय ने नागराज (ऊपर) पर विस्तार से विचार किया और पैराग्राफ में नागराज (ऊपर) द्वारा निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट किया। यहाँ विशेष रूप से सिद्धांतों (ix) और (x) से संबंधित हैं, जो

निम्नानुसार:

" (ix) दक्षता, पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की अवधारणाओं की पहचान और माप की आवश्यकता है। कि

यह कई कारकों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि सक्षम प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक

प्रतिस्पर्धी दावा कुछ लक्षयों को प्राप्त करना चाहता है। कितना अच्छा है?

इन परस्पर विरोधी दावों का अनुकूलन केवल प्रशासन द्वारा स्थानीय प्रचलित परिस्थितियों के संदर्भ में किया जा सकता है।

सार्वजनिक रोजगार।

(x) अनुच्छेद 16 (4), इसलिए, एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जो किसी राज्य को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है बशर्ते कि आरक्षण में पिछड़ेपन मौजूद हो। एक वर्ग और रोजगार में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता। ये सम्मोहक कारण हैं। वे अनुच्छेद 16 (1) में मौजूद नहीं हैं। इन कारणों की संतुष्टि होने पर ही किसी राज्य को सत्ता मिलती है

रोजगार के मामले में आरक्षण का प्रावधान करना। जरनैल सिंह और अन्य बनाम।

19. हम पहले ही देख चुके हैं कि 2012 के संशोधन विधेयक के अनुच्छेद 16 (4-ए) के पहले भाग की मदद के बिना भी, जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बात आती है तो पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा, हमारे द्वारा पहले से ही इंदर साहनी (1) (ऊपर) में बहुमत के विपरीत माना गया है। जहाँ तक विधेयक में प्रतिस्थापित अनुच्छेद 16 (4-ए) के दूसरे भाग का संबंध है, हम देख सकते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के लिए आनुपातिकता कुछ ऐसी नहीं है जो अनुच्छेद 16 (4-ए) में होती है जैसा कि अधिनियमित किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के विपरीत होना चाहिए। हम केवल यह जोड़ सकते हैं कि अनुच्छेद 46, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में आने वाला एक प्रावधान है, ने हमेशा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और लोगों के अन्य कमजोर वर्गों के बीच अंतर किया है। अनुच्छेद 46 इस प्रकार है:

" 46. शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग

अनुभाग। राज्य विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देगा

लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हित

अनुसूचित जनजातियाँ, और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाएँगी और

सभी प्रकार के शोषण "।

इस मामले में, अनुच्छेद 46 के पैटर्न को देखना आसान है।

अनुच्छेद 16 (4) और अनुच्छेद 16 (4-ए) में इसका पालन किया गया है। जबकि अनुच्छेद 16 (4) में "पिछड़े वर्ग" अनुच्छेद 46 में "लोगों के कमजोर वर्गों" के बराबर है, और समग्र वंश है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रजातियों का अलग-अलग बाद के भाग में उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 16 (4-ए)। यह कारण है, जैसा कि हमने पहले बताया है, कि अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ

समाज के सबसे पिछड़े या सबसे कमजोर वर्ग हैं, और इसलिए, पिछड़े माने जाते हैं। श्री द्विवेदी का तर्क है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में

उच्च पदों पर, उसके पास अब अस्पृश्यता या पिछड़ेपन का कोई दाग नहीं है, जैसा भी मामला हो, और इसलिए, राज्य पिछड़ेपन की अनुपस्थिति का न्याय कर सकता है क्योंकि पद ऊपर जाते हैं, यह एक तर्क है। यह अनुच्छेद 16 (4-ए) की वैधता पर लागू होता है। यदि हम इस तर्क को स्वीकार करते हैं, तो तार्किक रूप से, हमें अनुच्छेद 16 (4-ए) को निरस्त करना होगा, क्योंकि उच्च पदों पर अनुसूचित

जाति और/या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए आरक्षण जारी रखने की आवश्यकता तब समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) का उद्देश्य इंद्र साहनी (1) (ऊपर) में नौ न्यायाधीशों की पीठ को समाप्त करना है, जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण की बात आती है, तो उस उद्देश्य को प्रभावी किया जाना चाहिए, और नागराज (ऊपर) में निर्णय द्वारा प्रभावी किया गया है। इस मामले में, हम एक ऐसे तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से संवैधानिक संशोधनों के आधार या नींव पर फिर से विचार करेगा, ताकि नागराज (ऊपर) के एक छोटे से हिस्से को बरकरार रखा जा सके, अर्थात्, पदोन्नति पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन का न्याय करने के लिए मात्रात्मक डेटा हो। हम जल्दबाजी में यह भी कह सकते हैं कि श्री द्विवेदी के तर्क को "मलाईदार परत" की अवधारणा के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, यह अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के भीतर के व्यक्तियों पर लागू होता है, जिन्हें अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

आरक्षण, प्रवेश चरण से परे के पदों के विपरीत, जिन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का कब्जा हो सकता है।

20. विद्वान महान्यायवादी ने हमसे यह भी निर्धारित करने का अनुरोध किया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अनुपात

भारत की जनसंख्या को यह निर्धारित करने के लिए परीक्षा के रूप में लिया जाना चाहिए कि क्या अनुच्छेद 16 (4-ए) के उद्देश्य के लिए पदोन्नति के पदों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। उन्होंने शिकायत की कि नागराज (सुप्रा) को यह कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पहलू पर कुछ नहीं कहा है। हमारे अनुसार, नागराज

ऊपर जाता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि हर बार पदोन्नति होने पर प्रशासन की दक्षता पर ध्यान देना पड़ता है। जैसा कि इंद्र साहनी (1) (ऊपर) में बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. के निर्णय द्वारा इंगित किया गया है, शीर्ष पर कुछ पद हो सकते हैं, जहां आरक्षण पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस कारण से, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अनुच्छेद 16 (4-ए) को भाषा में जोड़ा गया है जो राज्यों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिए छोड़ देगा। प्रचार पोस्ट जो विचाराधीन है। इस उद्देश्य के लिए, संविधान के अनुच्छेद 330 के साथ अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) का विरोधाभास महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 330 इस प्रकार है:

नील सिंह और अन्य बनाम। लक्ष्मी नारायण गुप्ता [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 330. अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण और

लोकसभामे अनुसूचित जनजाति। - (1) सीटें

के लिए लोक सभा में आरक्षित किया जाएगा

((क) अनुसूचित जातियाँ; (
ख) अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अनुसूचित जनजातियाँ

असम के स्वायत्त जिले; और] (
ग) असम के स्वायत्त जिलों में अनुसूचित जनजातियाँ।

(2) किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षित सीटों की संख्या

खंड के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए

(1) लोक सभा में उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित सीटों की कुल संख्या का उतना ही अनुपात, जितना हो सके, वहन करेगा जितना उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की या उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, जिसके संबंध में सीटें इस प्रकार आरक्षित हैं,

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या।

(3) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, असम के स्वायत्त जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा में आरक्षित सीटों की संख्या उस राज्य को आवंटित सीटों की कुल संख्या से कम नहीं होगी।

उक्त स्वायत्त में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

राज्य की कुल जनसंख्या जिलों की है।

स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 332 में, अभिव्यक्ति

" "जनसंख्या" से अंतिम रूप से निर्धारित जनसंख्या अभिप्रेत है।

पूर्ववर्ती जनगणना जिसमें प्रासंगिक आंकड़े दिए गए हैं

प्रकाशित किया:

बशर्ते कि इस स्पष्टीकरण में पिछली पूर्ववर्ती जनगणना का संदर्भ, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, उस वर्ष के बाद ली गई पहली जनगणना के लिए प्रासंगिक आंकड़ों तक होगा। 2026 प्रकाशित किए गए हैं, जिन्हें 2001 की जनगणना के संदर्भ के रूप में माना जाए।

यह देखा जा सकता है कि जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा में सीटें आरक्षित की जानी हैं, तो संविधान द्वारा जनसंख्या के लिए जातीयता की परीक्षा अनिवार्य है।

इस संबंध में और अधिक कहने के लिए। 21. इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नगर के फैसले को सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, नागराज (ऊपर) में कि राज्य को अनुसूचित जातियों के मात्रात्मक पिछड़ेपन का संग्रह करना है और इंद्र साहनी (1) में नौ न्यायाधीशों की पीठ के विपरीत अनुसूची इस हद तक अमान्य है।

दिव्या पांडे